1084
5

सत्यमेव जयते

खंड ९ संख्या २१

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

मंगलवार, तिथि ६ मार्च, १९५६ ।

Vol. IX No. 21

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Tuesday, the 6th March, 1956.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६ ।

[मूल्य—६ आना।]
[*Price—6 Annas.*]

अनेक सदस्य—सबजेक्ट-मैटर क्या है इसको सभा के समक्ष रख दिया जाय।

अध्यक्ष—मैं नोटिस को पढ़ देता हूं—

"I hereby give notice of my intention to move the adjournment of the House to discuss an urgent definite matter of public importance.

'The utter neglect of duties in attending to the urgent serious injury of the daughter of Shri Gita Prasad Sinha, M.L.C., by the Medical College Hospital administration, Patna, yesterday in not arranging X-ray examination of her fractured left hand as recommended by a doctor and published in today's paper.'

इसकी मान्यता के संबंध में मैं कल्ह माननीय मंत्री को सुनकर फैसला दूंगा।

दूसरी नोटिस भी इसी विषय पर है इसलिए जो बातें मौजूदा नोटिस के संबंध में कही गयीं वे ही उस पर भी लागू होंगी।

आय-व्ययक: अनुदानों की मांगों पर मतदान: कृषि।

BUDGET: VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS: AGRICULTURE.

कटौती प्रस्ताव: कृषि विभाग की कार्य प्रणाली।

CUT MOTION: WORKING OF THE AGRICULTURE DEPARTMENT.

श्री राम चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, विहार कृषि प्रधान प्रांत है। इसलिए यहां कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारे गया जिले में छोटी-छोटी बहुत सी नदियां हैं और ये बरसाती नदियां हैं जिनमें पानी सिंचाई के लिए काफी आता है; लेकिन इनमें पक्का बांध बांधकर पटवन करने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। अंगरेजी सरकार के वक्त से आजतक सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन जहानाबाद सबडिवीजन के अंदर मोरहर नदी में सिर्फ एक घोशी स्लूइस गेट बना है और दूसरी सिनाने नाला में कोनी बांध स्लूइस गेट बनाया गया है। बस, यही दो स्कीम आजतक इस विभाग से पूरी की गई हैं। उसमें भी घोशी स्लूइस गेट जो मोरहर नदी में है उसकी हालत ऐसी है कि मोरहर नदी में ऊपर से जो पानी आता है वह पंचानपुर के पास पहुंचने पर दूसरी तरफ नीमसरपैन (ढाब अथवा बलदई नदी) में चला जाता है और कुछ पानी मोरहर नदी में जो आता है, पाई बिगहा के निकट मोर बांध नहीं बांधने से दरधा नदी में चला जाता है और घोशी में जो स्लूइस गेट बना दिया गया है उसमें पानी सिंचाई के समय कभी आता ही नहीं। उसी के बगल में करीब आधे मील के फासले पर बलदई नदी है जिसमें काफी पानी चलता है। स्लूइस गेट नहीं बनाया गया है। मैंने इसके बारे में कई बार सवाल भी पूछा है; लेकिन जवाब विचित्र ही मिलता है। जवाब में सरकार कहती है कि मोरहर नदी के घोशी

स्लूइस गेट में काफी पानी आता है और उससे सिंचाई होती है। हम मोरहर नदी के किनारे पर बसते हैं और अपनी आंखों से जो मैंने देखा है उसीको मैंने अभी कहा। लेकिन मंत्री को इनके एक्सपर्ट दूसरी ही बात बताते हैं। जहां बांध बांधना चाहिए, जहां बांध की जरूरत है वहां तो बांध बांधते नहीं और जहां इसकी जरूरत नहीं है वहां बांधते हैं और जवाब दिया जाता है कि मोरहर नदी में काफी पानी आता है। यही उनका काम है। मैं समझता हूं आंख बंद करके जिससे फायदा होता है वह नहीं किया जाता है और जिससे फायदा नहीं होता है उसको, चाहे पैरवी की वजह से या गुटबंदी के कारण जो भी हो, किया जाता है। मैंने जहानाबाद सबडिवीजन में जो मीडियम स्कीम लेने के लायक हैं उनके बारे में कई बार सवाल किया और अपना सुझाव दिया, जैसे बलदेई नदी में पंडील बांध, नोआवां अखाड़ा बांध, चतरिया बांध और घाना डिहरी बांध। गंगहर नाला में पुनपुन नदी से कोदमरई पंतितमठ बांध के जरिए पानी सिंचाई के लिए लाया जाता है और गंगहर नाला में पैनाठी, कुंडला, सोहरैया, बढ़ेता और लाखापुर में कच्चा बांध बांध कर सिंचाई होती है ; गंगहर नाला में पानी तेजी से चलता है और कच्चा बांध टूट जाता है जिससे पानी फिर दूर जाकर पुनपुन नदी में गिर जाता है। ऐसी हालत में पक्का बांध बांधना बहुत जरूरी था। सिंचाई मंत्री ने एक बार सवाल के जवाब में कहा था कि ७ हजार एकड़ इससे आबादी होती है; लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ५० हजार एकड़ तक जमीन इससे आबाद हो सकती है। यहीं तक नहीं, बल्कि मसौढ़ी तक पटने जिले में वह पानी आता है और उससे सिंचाई होती है। इसलिए गंगहर नाले के इन कच्चे बांधों को पक्का बना देना जरूरी है। पुनपुन में कच्चा बांध लगाने में दिक्कत होती है। इसके बारे में भी मैंने सवाल किया था। स्कीम के लिए दरखास्त जो दिए जाते हैं उनकी यह हालत है कि अगर १०-१५ बार पैरवी नहीं किया जाय तो यों ही ये दरखास्त दफ्तर में पड़ी रह जायं और झींगुर उन्हें चाट जायं। मैं तो कहूंगा कि कृषि विभाग में ऐसा होना चाहिए कि इनके अफसर खुद जाकर जगह पर देखें और कहें कि कहां बांध चाहिए और कौन स्कीम सबसे ज्यादा महत्व रखती है। इसमें पार्टी पोलिटिक्स या पैरवी की बात नहीं होनी चाहिए। कुर्था थाने में सिनाने नाला है जिसमें बांध की जरूरत है। इसमें पिरही बड़हिया बांध तथा कुतुबपुर-बारा बांध सिंचाई के लिए बंधता है। और मंगा बीघा बांध कच्चा बनाये जाते हैं। यह एक छोटा नाला है और पानी तेजी से चलता है जिसका नतीजा यह होता है कि कच्चा बांध बांधने में दिक्कत होती है और पानी की धारा नदी में बहती रहती है तथा किनारे पर फसल सूखती रहती है। बड़ी-बड़ी स्कीम ली जाती हैं और लाखों रुपए खर्च होते हैं लेकिन उनसे इतना फायदा नहीं होता। मध्यम सिंचाई योजना में कम खर्च से ज्यादा फायदा होता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विभाग बड़े महत्व का है लेकिन इससे उतना फायदा नहीं पहुंचता है। सेसम्बा में तीरा बांध और संदीचक कठपुल में स्लूइस गेट देना बहुत जरूरी है क्योंकि कठपुल से यह नाला मोरहर नदी में गिरता है और जब घोशी स्लूइस गेट में पानी आता है तब घोशी स्लूइस गेट को सफलता मिलती है। इसलिए तीरा और संदीचक कठपुल में स्लूइस गेट देना जरूरी है। दसिअइन नाला में कोचहसा बांध जरूरी है और मोरहर नदी में जैसा मैंने पहले कहा है मोर बांध को स्लूइस गेट बनाना जरूरी है।

इसके लिये एक बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार हुई है जो सरकार के पास भेजी गई है लेकिन इधर २ वर्षों से उसमें कोई काम नहीं हुआ है। फाइल जहां जाती है वहीं पर पड़ी रह जाती है और इस तरह से काम होने में कठिनाई हो रही है। गया जिला में पुनपुन और फल्गू दो बड़ी नदियां हैं। लेकिन इनको छोड़कर और भी बहुत

सी छोटी-छोटी नदियां हैं। मोरहर आदि इस तरह की बहुत सी नदियां हैं जिनमें बांध बंधवा कर सिंचाई का काम लिया जा सकता है और गया जिले की सिंचाई की समस्या हल हो सकती है। इन नदियों में पुनपुन आदि बड़ी नदियों से भी पानी लिया जा सकता है और उससे सिंचाई का काम हो सकता है। हमारे सिंचाई मंत्री अपना ध्यान इस ओर देने की कृपा करेंगे।

श्री राम चरित्र सिंह—अभी मीडियम इरीगेशन का यहां पर सवाल है। यहां पर सिंचाई विभाग का सवाल नहीं है।

श्री राम चरण सिंह—मीडियम इरीगेशन के बारे में तो कह ही रहा हूं लेकिन यह भी चाहता हूं कि इसके अलावे और भी वहां पर स्कीमें हैं जिनसे सिंचाई का काम अच्छी तरह से हो सकता था।

इसके बाद मुझे कुएं के संबंध में कुछ कहना है। अभी हरेक गांवों के निकट में डीह जमीन होती है जहां पर ऊख, तरकारी, सरसों और गेहूं होता है। लेकिन डीह में कुएं बनाने के लिए सरकार की ओर से मदद नहीं दी जाती है। इन फसलों को कुएं से पानी पटा कर पैदा किया जा सकता है। धान ही एक ऐसी फसल है जिसको कुएं के पानी से पूरा पटवन का काम नहीं चल सकता है। लेकिन डीह पर सरकार कुआं बनाना नहीं चाहती है। वह तो यही चाहती है कि कुआं गांव से बाहर बनाया जाय। डीह में कुएं न बनने से गांववालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार इस पर ध्यान दे।

इसके बाद मुझे कुछ रहट के बारे में कहना है। सरकार लोगों को आधे दाम पर रहट देती है लेकिन हमारी तो जानकारी यह है कि जिस भाव पर लोगों को बाजार में रहट मिलता है वही भाव सरकार से भी लेने पर लोगों को पड़ जाता है। अफसरों को खुश करना पड़ता है और १० या २० बेर उनको कचहरी में दौड़ना पड़ता है तब कहीं आधी कीमत मिलती है। इससे बहुत से लोग सरकार से रहट लेना नहीं चाहते हैं और बाजार से खरीद लेते हैं। बहुत सी जगहों में सरकारी रहट बहुत दिनों तक पड़ा रहने से उनमें जंग लग कर उनकी बालटियों में छेद हो गया है और इससे रहट बेकार हो रहा है। सरकार को इस तरफ अपना ध्यान देना चाहिए जिसमें लोगों को रहट आसानी से मिल जाय और बहुत से रहट बहुत दिनों तक पड़ा न रह कर बर्बाद भी न हो।

(इस अवसर पर श्री दारोगा प्रसाद राय ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

इसके बाद में अब कुछ गोह थाने की बात कहना चाहता हूं। वहां पर मीडियम स्कीम को चालू करना बहुत जरूरी है। मैं अपने कृषि मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वे हर जगह अपने अफसरों को भेजें जिसमें उनको पता लगे कि कहां पर मध्यम सिंचाई योजना चालू हो सकती है और कौन जगह इसके लिए उपयुक्त हो सकती है। ऐसा होने से ही कृषि में ज्यादा तरक्की हो सकती है। अभी जो ज्यादा पैदावार करने की बात है उसमें भी हमको धोखा मालूम होता है। अपनी बड़ाई के लिए असली पैदावार से ज्यादा पैदावार दिखला कर अफसर लोग लिख कर सरकार के पास भेज देते हैं लेकिन असल में बहुत कम पैदावार होती है। सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह की कितनी पैदावार होती है और ऐसा होने से ही सही माने में काम हो सकता है।

सभापति (श्री दारोगा प्रसाद राय)—आपका समय खत्म हो गया। अब दूसरे सदस्य को अपने क्षेत्र के संबंध में कहने के लिए मौका दीजिए। अब आप बैठ जाइए।

श्री राम चरण सिंह—तो इतना ही कहकर मैं बैठ जाता हूं।

श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, कृषि मंत्रणालय के कार्यों में पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति हुई है उसके लिए हमें गौरव है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि की उन्नति की योजनाओं को सफल बनाना बहुत आवश्यक है। कुछ दिन पहले गांव की जनता को यह भी मालूम नहीं था कि कृषि विभाग के नाम से भी सरकार का कोई विभाग है। लेकिन अब कृषि विभाग का नाम तो दिहातों में भी पहुंच गया है और सबलोग इसके कामों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। मैं कृषि मंत्रणालय के विचार के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि यह विभाग इस सुझाव को अपनाएगा। दिहात के छोटे और बड़े सभी किसानों के लिए आधुनिक ढंग से खेती करने के तरीकों को सिखलाने की बड़ी आवश्यकता है। ऐसा होने से हमारे देश की कृषि-उन्नति हो सकती है। खेती के तरीकों में परिवर्त्तन करना बहुत जरूरी है और आधुनिक ढंग से खेती करने के तरीके की जानकारी यहां के किसानों को होना बहुत आवश्यक है। कृषि विभाग से इस तरह की जानकारी का प्रचार करने के लिए बहुत सी जगहों में प्रदर्शन होता है लेकिन प्रदर्शन सिर्फ १० दिन से एक महीने तक के लिए होता है। इस तरह से खेती करने का क्या फल निकलता है यह किसानों को देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जहां पर भी प्रदर्शनी हो उसको स्थायी तौर पर करना चाहिए जिसमें उत्तम ढंग से किए जानेवाली खेती के फल भी देखने का मौका वहां के किसानों को मिले।

मैं यह समझता हूं कि स्थायी रूप से प्रदर्शन केन्द्र खोलने में सरकार को कठिनाई होगी, क्योंकि इसके लिए हर जगह सरकार के पास जमीन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक ही स्थान हो सकता है जिसमें प्रदर्शन केन्द्र की व्यवस्था की जा सकती है। वह स्थान हाई स्कूल, मिड्ल स्कूल और बेसिक स्कूल होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हाई स्कूलों में काफी जमीन रहती है और उसमें इसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। खास तौर से बेसिक स्कूलों में तो काफी जमीन रहती है। मिड्ल स्कूल में भी जमीन रहती है, इसलिए इन स्थानों में प्रदर्शन केन्द्र की व्यवस्था की जाय जिसमें फसलों को उपजाने की नयी विधि और आधुनिक रीति से बताने की व्यवस्था रहनी चाहिए। जो फसल उस इलाके में उपजायी जाती है उसी फसल के बारे में खास तौर से व्यवस्था रहनी चाहिए और छोटे-बड़े किसानों को बताना चाहिए किस आधुनिक रीति से कौन सी फसल उपजायी जाती है। उसका क्या फल होता है। मैं इस छोटे से सुझाव को रखने के लिए हाउस में खड़ा हुआ था और मैं समझता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी और माननीय मंत्री या माननीय उप-मंत्री अपने उत्तर के समय इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे।

श्री शुभनाथ देवगम—सभापति महोदय, मैं कृषि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस ओर वे अपना पूरा ध्यान दें। हमारा

देश कृषि प्रधान देश है और हमारा छोटानागपुर विशेष रूप से कृषि के ऊपर ही निर्भर करता है। वहां के लोग कृषि के सिवाय दूसरा व्यवसाय नहीं करते और न जानते हैं। पहली बात तो यह है कि वहां की जनसंख्या में बढ़ती होती जाती है और इससे भूमि सभी लोगों को नहीं है और भूमि की कमी होती जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव भूमि पर पड़ता जा रहा है। यह बात सही है कि छोटानागपुर में बहुत से खदान हैं। उसके चलते बहुत से खेती लायक या खेती जमीन, जंगल, झाड़ी खदानों में चले जाते हैं। जिससे वहां के लोगों को खेती वगैरह की कमी होती जाती है और जमीन भी खदान के काम के लिए ऐक्वायर किया जाता है। हाल में एक सिमेंट कंपनी के लिए १८० वर्ग मील तक जनता की खेती की जमीन ले ली गई, इसका नतीजा यह हुआ कि वहां के लोगों का एक मात्र साधन नष्ट हो गया और वे सब कुली के काम में जाने के लिए बाध्य हो गए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनलोगों के लड़के लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दिला कर इस लायक बनाया जाय कि वे उन खदानों में अच्छे-अच्छे कामों में, जैसे इंजीनियर, सुपरवाइजर, किरानी, मिस्त्री, इत्यादि में लिए जा सकें। तभी उन सबों की क्षतिपूर्त्ति होगी। अंग्रेज के जमाने में भी खदानों के लिए जमीन ले ली जाती थी और वहां के गरीब किसान को भूमि-हीन बनकर रहना पड़ता था। विदेशी राज्य में जंगलों को रिजर्व और प्रोटेक्टेड करने से जंगल के भीतर रहने वाली गरीब जनता को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि उनकी जमीन, बस्ती वगैरह जंगल में मिलाया गया और वे वहां से बाहर कर दिए गए। नतीजा यही हो रहा है कि वे अभी स्वराज्य मिलने पर अपने पुरखों की पुरानी जगहों के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावे भी जो सबसे अच्छी जमीन उनलोगों की होती है वह भी कृषि अनुसंधान के नाम से ले लिया जाता है। पुटीदा एग्रिकल्चरल एक्स-पेरिमेंटल फार्म के लिए किसानों के ६०-७० एकड़ जमीन, जो बहुत अच्छी थीं एक्वायर कर लिया गया और फिर उस फार्म के इर्दगिर्द करीब ६० एकड़ अच्छी जमीन लेने जा रही है। इस तरह से जब वहां की जनता की अच्छी से अच्छी जमीन अनुसंधान के नाम पर एक्वायर कर ली जाती है तो वहां के लोगों की परेशानी का अदाजा आप भी लगा सकते हैं। वे सब के सब परेशान हैं। लेकिन बदकिस्मती से वे गरीब हैं और अनपढ़ भी हैं जिससे उनकी आवाजें सरकार तक पहुंचने नहीं पाती हैं। अगर साधारण जमीन पर ही अनुसंधान का काम किया जाता तो उनलोगों की अच्छी जमीन बच सकती थी और इससे उनको बहुत राहत मिलता और साधारण से साधारण जमीन में अच्छी फसल उपजाने का तरीका भी सीख सकते, पर अच्छी जमीन लेकर अनुसंधान कृषिशाला बनाने से कोई बहादुरी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और जो बहुत जरूरी है वह मैं अभी कहना चाहता हूं। श्री अर्जुन पूर्त्ति, कृषि विभाग सरकारी नौकरी में २८ वर्षों से भी अधिक रहे हैं और कुछ दिनों तक गजटेड अफसर के काम में भी रहे हैं। पलामू के चियाकी फार्म, रामगढ़ फार्म, पुटीदा फार्म वगैरह वगैरह फार्मों के इनचार्ज रहे और कांके एग्रिकल्चर फार्म इत्यादि कई जगहों में ट्रेनिंग पाकर ओरमांझी कम्युनिटी प्रोजेक्ट में गजटेड अफसर रहे हैं उनको अब रिवर्ट कर दिया गया है। उनको यह बताया गया है कि वह टेक-निकल ट्रेनिंग नहीं पाए हैं। लेकिन गजटेड रैंक के एग्रिकल्चरल औफिसर की लिस्ट देखी जाय तो पता चलेगा कि बहुत से जो टेकनिकल ट्रेनिंग नहीं पाये हैं वे भी लिस्ट में हैं। लोग सुनकर यही समझते हैं कि वह आदिवासी होने की वजह से ही रिवर्ट कर दिया गया। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि फिर से इनका केस जांच किया जाय कि जिसमें इनको गजेटेड रैंक में जल्द से जल्द फिर लिया जाय।

सभापति (श्री दारोगा प्रसाद राय)—आपका समय खत्म हो गया। अब दूसरे सदस्य को अपने क्षेत्र के संबंध में कहने के लिए मौका दीजिए। अब आप बैठ जाइए।

श्री राम चरण सिंह—तो इतना ही कहकर मैं बैठ जाता हूं।

श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, कृषि मंत्रणालय के कार्यों में पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति हुई है उसके लिए हमें गौरव है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि की उन्नति की योजनाओं को सफल बनाना बहुत आवश्यक है। कुछ दिन पहले गांव की जनता को यह भी मालूम नहीं था कि कृषि विभाग के नाम से भी सरकार का कोई विभाग है। लेकिन अब कृषि विभाग का नाम तो दिहातों में भी पहुंच गया है और सबलोग इसके कामों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। मैं कृषि मंत्रणालय के विचार के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि यह विभाग इस सुझाव को अपनाएगा। दिहात के छोटे और बड़े सभी किसानों के लिए आधुनिक ढंग से खेती करने के तरीकों को सिखलाने की बड़ी आवश्यकता है। ऐसा होने से हमारे देश की कृषि-उन्नति हो सकती है। खेती के तरीकों में परिवर्त्तन करना बहुत जरूरी है और आधुनिक ढंग से खेती करने के तरीके की जानकारी यहां के किसानों को होना बहुत आवश्यक है। कृषि विभाग से इस तरह की जानकारी का प्रचार करने के लिए बहुत सी जगहों में प्रदर्शन होता है लेकिन प्रदर्शन सिर्फ १० दिन से एक महीने तक के लिए होता है। इस तरह से खेती करने का क्या फल निकलता है यह किसानों को देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जहां पर भी प्रदर्शनी हो उसको स्थायी तौर पर करना चाहिए जिसमें उत्तम ढंग से किए जानेवाली खेती के फल भी देखने का मौका वहां के किसानों को मिले।

मैं यह समझता हूं कि स्थायी रूप से प्रदर्शन केन्द्र खोलने में सरकार को कठिनाई होगी, क्योंकि इसके लिए हर जगह सरकार के पास जमीन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक ही स्थान हो सकता है जिसमें प्रदर्शन केन्द्र की व्यवस्था की जा सकती है। वह स्थान हाई स्कूल, मिड्ल स्कूल और बेसिक स्कूल होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हाई स्कूलों में काफी जमीन रहती है और उसमें इसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। खास तौर से बेसिक स्कूलों में तो काफी जमीन रहती है। मिड्ल स्कूल में भी जमीन रहती है, इसलिए इन स्थानों में प्रदर्शन केन्द्र की व्यवस्था की जाय जिसमें फसलों को उपजाने की नयी विधि और आधुनिक रीति से बताने की व्यवस्था रहनी चाहिए। जो फसल उस इलाके में उपजायी जाती है उसी फसल के बारे में खास तौर से व्यवस्था रहनी चाहिए और छोटे-बड़े किसानों को बताना चाहिए किस आधुनिक रीति से कौन सी फसल उपजायी जाती है। उसका क्या फल होता है। मैं इस छोटे से सुझाव को रखने के लिए हाउस में खड़ा हुआ था और मैं समझता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी और माननीय मंत्री या माननीय उप-मंत्री अपने उत्तर के समय इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे।

श्री शुभनाथ देवगम—सभापति महोदय, मैं कृषि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस ओर वे अपना पूरा ध्यान दें। हमारा

देश कृषि प्रधान देश है और हमारा छोटानागपुर विशेष रूप से कृषि के ऊपर ही निर्भर करता है। वहां के लोग कृषि के सिवाय दूसरा व्यवसाय नहीं करते और न जानते हैं। पहली बात तो यह है कि वहां की जनसंख्या में बढ़ती होती जाती है और इससे भूमि सभी लोगों को नहीं है और भूमि की कमी होती जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव भूमि पर पड़ता जा रहा है। यह बात सही है कि छोटानागपुर में बहुत से खदान हैं। उसके चलते बहुत से खेती लायक या खेती जमीन, जंगल, झाड़ी खदानों में चले जाते हैं। जिससे वहां के लोगों को खेती वगैरह की कमी होती जाती है और जमीन भी खदान के काम के लिए ऐक्वायर किया जाता है। हाल में एक सिमेंट कंपनी के लिए १८० वर्ग मील तक जनता की खेती की जमीन ले ली गई, इसका नतीजा यह हुआ कि वहां के लोगों का एक मात्र साधन नष्ट हो गया और वे सब कुली के काम में जाने के लिए बाध्य हो गए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनलोगों के लड़के लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दिला कर इस लायक बनाया जाय कि वे उन खदानों में अच्छे-अच्छे कामों में, जैसे इंजीनियर, सुपरवाइजर, किरानी, मिस्त्री, इत्यादि में लिए जा सकें। तभी उन सबों की क्षतिपूर्ति होगी। अंग्रेज के जमाने में भी खदानों के लिए जमीन ले ली जाती थी और वहां के गरीब किसान को भूमि-हीन बनकर रहना पड़ता था। विदेशी राज्य में जंगलों को रिजर्व और प्रोटेक्टेड करने से जंगल के भीतर रहने वाली गरीब जनता को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि उनकी जमीन, बस्ती वगैरह जंगल में मिलाया गया और वे वहां से बाहर कर दिए गए। नतीजा यही हो रहा है कि वे अभी स्वराज्य मिलने पर अपने पुरखों की पुरानी जगहों के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावे भी जो सबसे अच्छी जमीन उनलोगों की होती है वह भी कृषि अनुसंधान के नाम से ले लिया जाता है। पुटीदा एग्रिकल्चरल एक्सपेरिमेंटल फार्म के लिए किसानों के ६०-७० एकड़ जमीन, जो बहुत अच्छी थीं एक्वायर कर लिया गया और फिर उस फार्म के इर्दगिर्द करीब ६० एकड़ अच्छी जमीन लेने जा रही है। इस तरह से जब वहां की जनता की अच्छी से अच्छी जमीन अनुसंधान के नाम पर एक्वायर कर ली जाती है तो वहां के लोगों की परेशानी का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। वे सब के सब परेशान हैं। लेकिन बदकिस्मती से वे गरीब हैं और अनपढ़ भी हैं जिससे उनकी आवाजें सरकार तक पहुंचने नहीं पाती हैं। अगर साधारण जमीन पर ही अनुसंधान का काम किया जाता तो उनलोगों की अच्छी जमीन बच सकती थी और इससे उनको बहुत राहत मिलता और साधारण से साधारण जमीन में अच्छी फसल उपजाने का तरीका भी सीख सकते, पर अच्छी जमीन लेकर अनुसंधान कृषिशाला बनाने से कोई बहादुरी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और जो बहुत जरूरी है वह मैं अभी कहना चाहता हूं। श्री अर्जुन पूर्त्ति, कृषि विभाग सरकारी नौकरी में २८ वर्षों से भी अधिक रहे हैं और कुछ दिनों तक गजटेड अफसर के काम में भी रहे हैं। पलामू के चियाकी फार्म, रामगढ़ फार्म, पुटीदा फार्म वगैरह वगैरह फार्मों के इनचार्ज रहे और कांके एग्रिकल्चर फार्म इत्यादि कई जगहों में ट्रेनिंग पाकर ओरमांझी कम्युनिटी प्रोजेक्ट में गजटेड अफसर रहे हैं उनको अब रिवर्ट कर दिया गया है। उनको यह बताया गया है कि वह टेकनिकल ट्रेनिंग नहीं पाए हैं। लेकिन गजटेड रैंक के एग्रिकल्चरल औफिसर की लिस्ट देखी जाय तो पता चलेगा कि बहुत से जो टेकनिकल ट्रेनिंग नहीं पाये हैं वे भी लिस्ट में हैं। लोग सुनकर यही समझते हैं कि वह आदिवासी होने की वजह से ही रिवर्ट कर दिया गया। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि फिर से इनका केस जांच किया जाय कि जिसमें इनको गजेटेड रैंक में जल्द से जल्द फिर लिया जाय।

दूसरी बात यह है जिसकी ओर में सरकार का ध्यान ले जाना जरूरी समझता हूं वह यह है कि सिंहभूम में ऊख की खेती की जा रही है। और सिंहभूम के कृषि विभाग ने ऊख उपजाने के लिए लोगों को बहुत ही उत्साहित किया पर उस फसल को खपत करने का कुछ भी उपाय नहीं किया। ऊख की फसल तैयार होने पर वहां के लोगों को पता चला कि वहां उसकी मोट खपत नहीं है। वहां से कहीं के लिए भी ऊख की मांग नहीं आती है। इसलिए वे लोग हताश होकर बाजारों में ही अपना ऊख एक आने, दो आने ऊख के दाम पर बेचते हैं। इसमें बहुत थोड़ा ऊख बिकता है उनका ४-५ घंटा समय बेचने में रोजाना लग जाता है। इससे उनको खेती में बाधा पड़ती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां कोई ऐसा प्रबंध करा दें कि जिसमें सब ऊख १ महीने में बिक जायं और गरीबों को उनका पैसा वापस हो जाय नहीं तो इसका बहुत दुखद असर उनके ऊपर पड़ेगा। फिर भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जंगल के भीतर फार्म इत्यादि खोलकर कृषि अनुसंधान के काम के लिए वहां की जनता की अच्छी-अच्छी जमीन नहीं ली जाय। बस इतना ही कहकर मैं बैठता हूं।

*श्री रामेश्वर शास्त्री—सभापति महोदय, आज इस अवसर पर सरकार का ध्यान में उपेक्षित और पीड़ित क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि एक नाला से मैं समझता हूँ कि करीब-करीब २-३ हजार एकड़ खेत की आबादी होती है। जनता की तरफ से, खास कर सदस्यों की तरफ से भी सरकार के पास, माननीय मंत्री के पास कई आवेदन-पत्र पहुँचाये गये उन किसानों के हित के लिये लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक उस पर विचार नहीं किया गया है।

सभापति (श्री दारोगा प्रसाद राय)—आवेदन-पत्र किस मिनिस्टर को दिया गया था ?

श्री रामेश्वर शास्त्री—कृषि मंत्री के पास, जिनसे यह सम्बन्ध रखता है। पर उसके बावजूद भी, यानी ४ वर्षों के प्रयत्न करने के बाद भी, एक ऐसी उपयोगी स्कीम की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि बलुआ और छितनावां में आहर है जिसका १० गांवों से सम्बन्ध है। इस आहर से ५० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। जनता की तरफ से इसकी मांग की गई लेकिन अभी तक यह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र में कोथवां में इस तरह की जमीन है जहां बरसात का पानी बहुत जम जाता है। पानी को नहर से निकालने के लिए प्रयत्न किया गया और सरकार से निवेदन भी किया गया लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कृषि विभाग की बात क्या कहूँ, माइनर इरीगेशन के द्वारा काम होता है, लेकिन हमारे इलाके में भीषण अकाल से लोग ४ वर्षों से पीड़ित हैं लेकिन उनके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है।

सभापति (श्री दारोगा प्रसाद राय)—यह चीज एग्रिकल्चर में कैसे आती है ?

श्री रामेश्वर शास्त्री—उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूँ। उस विभाग की बात नहीं बता रहा हूँ लेकिन उनके घर की समस्या का भी समाधान अभी नहीं हो सका

हैं न उनके लिए ऋण का प्रबन्ध हो सका है। इस सरकार का कुछ पता नहीं लगता है कि माननीय मंत्री लोग जनता के बीच में जाकर जनता को आश्वासन दे आया करते हैं और उनके अधिकारी इस पर क्या करते हैं। मैं कहूंगा कि श्री कृष्ण वल्लभ सहाय.........

सभापति (श्री दारोगा प्रसाद राय)—रेवेन्यु डिपार्टमेंट के बारे में आप नहीं कह सकते हैं, एग्रिकल्चर के बारे में जो कहना है, कहें।

श्री रामेश्वर शास्त्री—उदाहरण के स्वरूप कह रहा हूं।

सभापति (श्री दारोगा प्रसाद राय)—यह उदाहरण सुटेबुल नहीं है।

श्री रामेश्वर शास्त्री—मेरे कहने का तथ्य यह था कि माननीय मंत्री जनता के बीच में जाकर आश्वासन दे आया करते हैं लेकिन उसकी पूर्त्ति नहीं हो पाती है, इससे जनता भी असन्तुष्ट रहती है और जनता अपने अधिकार की मांग से वंचित रहती है। इसलिए मेरा कहना है कि किसी विभाग की बात ले लीजिए, चाहे वह कृषि विभाग हो या और कोई दूसरा विभाग हो, माननीय मंत्री जनता के बीच जो आश्वासन दे आया करते हैं उसकी पूर्त्ति नहीं करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। एक एच० ई० स्कूल है.......

सभापति (श्री दारोगा प्रसाद राय)—माननीय मंत्री जब जवाब देंगे तो एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में। दूसरे मंत्री से सम्बन्धित बातों का जवाब वे कैसे देंगे इसलिये एग्रिकल्चर के बारे में क्या कहना है, क्या डिफेक्टस हैं, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, जो नहीं हो सका है, कहें। एग्रिकल्चर से सम्बन्धित बातें रक्खें तो अच्छा हो।

श्री रामेश्वर शास्त्री—कहना यह था कि इतने दिनों से जनता के हित के लिए जो काम होना चाहिए और जिसके लिए आश्वासन माननीय मंत्री लोग दिया करते हैं और उनकी पूर्त्ति नहीं हो पाती है, उसकी ओर ध्यान जाना चाहिए ताकि जनता के हित का जो काम है वह हो जाय। हमारे यहां छितनावां और बलुआ में आहर की मांग है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रजातान्त्रिक सरकार है। इस सरकार में दिमाग, हृदय और हार्ट तीनों को एक ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होना होता है, अगर ये तीनों एक दूसरे से सम्बन्धित न रहें तो प्रजातन्त्र खतरे में आ जाता है। मैं कहता हूँ कि आहर, नाले के विकास की मांग ज्यों-की-त्यों पड़ी हुई है। मैं फिर भी सरकार से आग्रह करता हूँ कि कम-से-कम छितनावां और बलुआ में जो आहर की मांग है उसकी पूर्त्ति की जाय। जनता के प्रतिनिधि माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक उसके बनाने में असफल रहे। कम-से-कम इतना जरूर होना चाहिये कि जनता को जो आश्वासन देकर आवें उसकी पूर्त्ति होनी चाहिए। आप उसी बात के लिए आश्वासन दें जो आपसे होने के लायक हो। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री राम नरेश सिंह—सभापति महोदय, मैं श्री रमेश झा के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और इस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कृषि विभाग के बारे में कल से काफी वाद-विवाद हो रहा है और हमारे साथियों ने अपनी-अपनी राय जाहिर की है। यों तो मैंने सब विभागों के कामों को देखने की कोशिश की है पर खास कर कृषि विभाग की बात को ज्यादा जानने की कोशिश की और जहां तक मैं जानता हूँ सरकार दावे के साथ कहती है कि वह जितना अच्छा काम कर रही है वह बम्बई के मुकाबले में है। बम्बई की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जेनरल बजट के मौके पर और जब-जब बजट के ऊपर बातें हुईं माननीय मंत्रियों और और लोगों ने भी इसको उदाहरण के तौर पर रखा है।

हमारे उप-मंत्री ने कहा है कि जहां-जहां एन० ई० एस० ब्लौक चल रहा है वहां-वहां एग्रीकल्चर का काम बहुत अच्छा और ज्यादा हुआ है। लेकिन मैं भी एक ऐसे इलाके का रहने वाला हूँ जहां एन० ई० एस० ब्लौक काम कर रहा है। जिस तरह और सभी विभाग के लोग वहां पहुँच जाते हैं और सब अपना-अपना काम करते हैं उसी तरह ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी काम करता है और मैंने देखा है कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभानअल्लाह यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी वही हाल है जो और सब डिपार्टमेंट का है। हमारी समझ में नहीं आता कि आप बम्बई के मुकाबले में अपने को कहते हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान में फस्ट हैं, तो यह सर्टिफिकेट आपने कहां से हासिल की। हर मिनिस्टर इसी की दोहाई देते हैं और कहते कि बड़ा सुन्दर काम हो रहा है। यदि बिहार में एन० ई० एस० ब्लौक का या और दूसरा काम बिहार सरकार का हो रहा है, बम्बई की सरकार भी ऐसा ही कर रही है तो हमलोग इसका अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां कैसा काम होता होगा।

सभापति जी, कृषि डिपार्टमेंट की हालत ऐसी है कि मीडियम स्कीम के अन्दर अगर एक दो कुआँ बनवाने का प्रोग्राम होता है तो इसके लिये ऐडवान्स रुपया नहीं दिया जाता है। हमलोगों ने जितनी दरखास्तें कुआँ के लिए दिलवाईं उनके बारे में आपने यही कहा कि पहले हमारे ओभरसियर या टेक्निकल आदमी जायेंगे और साइट देखकर सेलेक्शन करेंगे, उसके बाद यह करेंगे और वह करेंगे। इसके बाद फिर आप पूछते हैं कि इससे कितनी जमीन की सिंचाई होगी, वगैरह, वगैरह। ये सारी बातें होती हैं। आप जानते हैं कि हर स्कीम में कुछ-न-कुछ ऐडवान्स दिया जाता है चूंकि किसानों के पास पैसे नहीं हैं इसलिए वे हजारों-हजार दरवाजे खटखटाते हैं। लेकिन आपके डिपार्टमेंट का यह हाल है कि एक कुआँ के लिए अगर किसी ने दरखास्त दी तो ग्रो मोर फूड डिपार्टमेंट के ऊपर के अफसर से लेकर नीचे तक उसको उसी तरह पूजा करनी पड़ती है जैसे, किसी को शादी-ब्याह के समय देवता की पूजा करनी पड़ती है। अफसर से लेकर चपरासी तक प्रतिष्ठा के मुताबिक पहले बेचारे को पूजा करनी पड़ती है तब कहीं उनसे वे मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिल सकते हैं। किसी तरह से अगर कुआँ की स्कीम पास भी हुई तो इसके लिए उन्हें ऐडवान्स नहीं मिलता। मैं अपने उप-मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि वे यह बतलायें कि ग्रो मोर फूड की ओर से कितने कुएं बनवा सके हैं। सभापति महोदय, अगर किसी आदमी ने कुआँ बनवाया भी है तो इसका पैसा नहीं मिल पाता और कहा जाता है कि ओभरसियर या टेक्निकल आदमी हमारे पास नहीं हैं जो इसको देखें।

श्री वीरचन्द पटेल—आपको कुछ पता है कि कितने कुएँ बने हैं ?

श्री राम नरेश सिंह—मुझे पता होता तो फिर आपसे पूछता क्यों ? मैं अपने इलाके की बात कह सकता हूँ कि वहां बहुत कम कुएँ बने हैं। परन्तु आपके यहां रिपोर्ट आ जाती होगी कि इतने कुएँ बने और उतने बने, आपके यहां सिर्फ पेपर ट्रंजेक्शन चलता है। मेरे जिले में और खास करके मेरे सबडिविजन में जो कृषि मंत्री का सबडिविजन है वहां भी काम जल्दी नहीं होता है। जैसे दीपक के नजदीक अंधेरा होता है वैसी ही बात यहां भी हो रही है।

श्री वीरचन्द पटेल—आपके जिले में कितने मीडियम स्कीम के काम हुए हैं ?

श्री राम नरेश सिंह—हमारे जिले में बहुत कम मीडियम स्कीम के काम हुए हैं। नम्बर तो मैं नहीं बतला सकता, यह काम तो आपका है।

सभापति (श्री दारोगा प्रसाद राय)—शान्ति, शान्ति, माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें, जब समय आयेगा तो मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री रामनरेश सिंह--सभापति जी, यह मैं कह देना चाहता हूँ कि कुओं का काम बहुत कम हुआ है। जहां तक बांध की बात है दो-चार बांध बनाये गये हैं। लेकिन रफीगंज और बारून थाने ऐसे हैं जहां एक भी मीडियम स्कीम का काम नहीं हो पाया है और सबसे ज्यादा हमारा इलाका नेगलेक्टेड है। जिला के अफसर भी स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट किया करते हैं। गवर्नमेंट दावा करती है कि फसल अच्छी हुई है लेकिन आप देखें कि जो कैनाल इरिगेटेड एरिया नहीं है और जहां पानी नहीं जाता है वहां की हालत ऐसी है कि अगहन, पूस और माघ से ही लोग भूखे मर रहे हैं और लोगों को खाने को नहीं है। इस-लिए मैं कहूँगा कि कृषि विभाग अगर कुछ करना चाहता है तो सबसे पहला काम यह है कि कुओं के लिए एडवान्स देना चाहिए और जितने दरखास्तें कुओं के लिए आती हैं उनके सम्बन्ध में ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए कि एडवान्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं तो सिर्फ बम्बई का ढिंढोरा पीटकर मेम्बरों का आप आंसू पोछना चाहते हैं तो यह गलत और फरेब की बात है।

सभापति (श्री दारोगा प्रसाद राय)—शान्ति, शान्ति! आप फरेब का लफ्ज वापस लें। आप यह कह सकते हैं कि गलत बात है।

श्री राम नरेश सिंह—मैंने वापस ले लिया।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषि डिपार्टमेंट की बात होती है तो कहा जाता है कि फार्म में बहुत ज्यादा गल्ला पैदा करते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि हिसाब-किताब करके हमारे उप-मंत्री बतलायें कि जो फार्म हैं उसके सम्बन्ध में जो अफसर या अधिकारी हैं उन सब पर आप कितना खर्च करते हैं और आमदनी क्या होती है। मेरा निजी अनुभव है कि हमारे इलाके में जो सिरिश फार्म है उसमें कुछ नहीं होता और सरकार इसके लिये और जमीन एक्वायर करने जा रही है।

किसानों की जमीन जो फर्टाइल है जिस पर उनकी रोटी-रोजी चलती है, उसके अलावा उनके पास कोई दूसरी जमीन भी नहीं है और सरकार चाहती है वहां पर आइडियल फार्म की बुनियाद डालना। हुजूर, देखा जाये वहां का फार्म जो ४—५ सालों से हुआ है.......

(अन्तराल)

(इस अवसर पर अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

श्री राम नरेश सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं सिरीश फार्म की बात कर रहा था। वहां बहुत दिनों से फार्म है और उस फार्म में सिर्फ जहां तक हमलोगों की जानकारी है केवला के अलावा और कोई चीज नहीं है। उससे सरकार को कोई खास आमदनी भी नहीं है। यह बात ठीक है कि जो लोग वहां जाते हैं उनका मुंह मीठा करने के लिए दो एक केवला दे दिये जाते हैं। मैं तो फार्म को आइडियल तब समझूं जब उनको जो अच्छी चीजें हैं उनका अनुकरण पब्लिक भी करे और उसी तरह से किसान अपने खेत में भी काम करते और ज्यादा-से-ज्यादा उपज करने की कोशिश करते तो यह बात मानी जा सकती है कि फार्म से किसानों को फायदा हो सकता है लेकिन ऐसी बात नहीं है। फार्म के लिये आप जितनी जमीन लिये हैं उससे आपको संतोष नहीं हुआ और उसके किनारे आस-पास जो जमीन है उनको फार्म में मिलाने के लिये लेने की बात सोची गई। सरकार ने जमीन को एक्वायर करने के लिये अफसरों को भेजा, पहले तय हुआ था कि पश्चिम तरफ वाली जमीन एक्वायर की जाय लेकिन कुछ पैरवी हुई; वह जमीन छोड़ कर पूरब वाली जमीन लेने की बात होने लगी; हुजूर, सरकार की क्या प्रिन्सिपुल है वह नहीं मालूम होता है। कभी पूरब, कभी पश्चिम तो कभी उत्तर और दक्षिण की बात करती है। गोया सरकार चारों दिशाओं में घूमती रहती है। कोई भी एक खास प्रिन्सिपुल सरकार की नहीं रहती और उस तरह सरकार के अफसर भी इसके कायल नहीं होते। अफसर भी कोई पक्की बात लिख कर नहीं भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं साफ बतला देना चाहता हूँ कि यदि वहां की जमीन ली गई तो किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वही उनलोगों की जीविका का एकमात्र साधन है। हुजूर, गरीबों के पास जमीन ही कितनी होती है! एक दो बीघा या इससे कम ही, तो फिर अगर उनकी जमीनों को ले ली जायेगी तो उनको बड़ा ही दुःख होगा, वे बेकार हो जायेंगे। हमारे डिपुटी मिनिस्टर साहब माननीय श्री वीरचन्द पटेल वहां गये हुए थे। मैं इनसे अनरोध करूँगा कि फार्म न बढ़ाया जाय; क्योंकि इससे फायदा नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर आप खोलना ही चाहते हैं तो जरा सोच-समझ कर इस काम को करें, ऐसा कीजिये जिससे गरीबों को कोई तकलीफ न हो। आप ऐसा कर सकते हैं कि जी० टी० रोड के दक्षिण तरफ बहुत-सी परती जमीन है, उसको आप एक्वायर कीजिये, आप जो चाहे कीजिये, आइडियल फार्म बनायें, इससे हमलोगों को कोई एतराज नहीं है लेकिन कहना सिर्फ इतना ही है कि आप जो भी फार्म बनायें उसमें आप कम-से-कम यह अवश्य देखें कि आमदनी उतनी अवश्य हो जितना पैसा आप उसमें खर्च करते हैं। खर्च से आमदनी बहुत कम हो तो फिर फार्म से कोई फायदा नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह फार्म को इस तरह से सफल बनाये कि अगल-बगल के किसान उससे शिक्षा प्राप्त करें और और अपने खेतों में भी साइन्टिफिक ढंग से खेती करें लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हू कि जिन-जिन जिलों में या गांव म फाम बनाया गया है वहां उनके डिमौन्स्ट्रेशन से किसानों को क्या फायदा हुआ, किसानों ने उनका क्या अनुसरण किया।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो मीडियम स्कीम बनती है उसके लिये आपके यहां टेक्निकल हैंड्स की बड़ी कमी है । हमलोगों ने जितनी दरखास्तें दीं, कई बार माननीय डिपुटी मिनिस्टर साहब से मिला और कहा कि जितनी भी दरखास्तें हमलोग देते हैं उन पर शीघ्रता से काम नहीं किया जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चरल अफसर हैं या ग्रो मोर फूड अफसर हैं उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं तो वे साफ कहते हैं कि हमारे पास टेक्निकल हैंड्स की कमी है । दरखास्त पर इन्क्वायरी नहीं होती है । बेनिफीशियरी लिस्ट के लिये स्टाफ देहात में नहीं जाते हैं, देहात में बेनिफीशियरी लिस्ट मांगी जाती है तो किसान बहुत डरते हैं क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि हमारे प्लौट का नम्बर ले जायेंगे तो सरकार सभी उपज ले जायेगी हालांकि यह उनकी नासमझी है । इसमें कोई शक नहीं है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं लेकिन जनता को सरकार पर विश्वास नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आपके द्वारा कहना चाहता हू कि सिर्फ इस हाउस में कृषि विभाग के बजट को पास कर लेने से ही किसानों का पेट नहीं भर जायगा । अगर आप सचमुच में उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आपका फर्ज होता है कि आपके अफसर जो सचमुच के अफसर हैं वे अपने को किसानों के सेवक समझें और किसानों के बीच जाकर बेनिफीशियरी लिस्ट लें ।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, हमलोग ऐडवाइजरी कमिटी में कोई स्कीम पास भी कर लेते हैं तो दूसरी दिक्कत यह होती है कि सेक्रेटेरियट में मोटी-मोटी तनख्वाह पाने वाले अफसर साल-साल भर फाइल में उसको रहने देते हैं और जल्दी उस पर स्वीकृति की मुहर नहीं देते हैं, सिर्फ दस्तखत करने के लिये इतना समय लगा देते हैं । मैंने भूतपूर्व डिपुटी डाइरेक्टर से इसके विषय में कहा था । उन्होंने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया । तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह की चीज होती है । आपको तो चाहिये कि जो स्कीम आवे उसको शीघ्रता से चालू करें और टेक्निकल हैंड्स का प्रबन्ध करें । इसके बाद हमारा कहना है कि अफसर सरे जमीन पर नहीं जाते हैं और बैठे-बैठे ही निर्णय कर देते हैं । अगर पूजा की गयी तो स्कीम सैंक्शन हो जाती है और नहीं तो बैठे-बैठे लिख देते हैं कि "इट इज नौट फिजिबुल"। क्या अर्थ इसका होता है, यह बात समझ में नहीं आती है ।

जिस तरह पुलिस अफसर लिख देते हैं कि "मोस्ट कन्फीडेन्शल" उसी तरह आपके ये एक्सपर्ट लिख देते हैं कि "नौट फिजिबुल" । तो आपके डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल अफसर उस पर कुछ नहीं करते हैं क्योंकि यह तो एक्सपर्ट का लिखा हुआ है । हमारी सरकार एक्सपर्ट पर भरोसा रखती है और उनकी मर्जी पर चलती है । मुझे डर है कि इनके एक्सपर्ट इनको कहीं गढ़्हे में नहीं डाल दें । मैं डिपुटी मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हू कि वे मेरी बातें नोट करें और किसानों के बीच में जायें और पता लगावें कि आपके एक्सपर्ट जिन चीजों को "नौट फिजिबुल" कहते हैं तो वह कहां तक सही है । आप अगर नहीं जा सकें तो माननीय सदस्यों को कहिये कि वे आपको सही-सही रिपोर्ट दें ।

श्री वीरचन्द पटेल—आप स्पेसिफिक बात बतलाइये कि कहां ऐसा हुआ है ।

श्री राम नरेश सिंह—मैं उदाहरण देकर कहता हूं । मलहारा एक बस्ती है। वहां की पद्दन की एक लिस्ट भी हमने दी थी और दरखास्त भी दी थी । लेकिन हमारे पास खत आया डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर का और ग्रो मोर फूड अफसर का

कि हमारे एक्सपर्ट की राय है कि "नौट फ़िज़िबुल" तो यह कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं उस गांव में गया और किसानों से पता लगाया कि कोई हैट पैंट पहने हुए हाकिम यहां आया था पईन देखने तो उन लोगों ने इनकार किया और कहा कि यहां कोई आदमी नहीं आया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे।

एक मुल्की खैरा पईन है जिसके बारे में हमारे पदारथ बाबू ने सवाल पूछा था लेकिन उसका आजतक कुछ जवाब नहीं मिला। ओगरा थाने में बेल पईन स्कीम भी जिले से पास होकर आयी थी ऐग्रीकल्चरल डायरेक्टर और मिनिस्टर साहब के पास। लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। मैं डिपुटी मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि वे इस बात की हिदायत कर दें जिससे काम हो। सरकार चाहती है कि जनता की भलाई हो लेकिन सरकार और जनता के बीच जो अफसरान लोग हैं वे दीवार के रूप में खड़े हैं और कोई काम बनने नहीं देते। हमको सरकार की नीयत पर शक नहीं है और सरकार चाहती है कि कुछ काम हो लेकिन सरकार की वही हालत है जैसे कोई महात्मा शराब की दुकान पर बैठा हुआ कहता रहे कि शराब पीने से वह खराबी यह खराबी, उससे काम चलने वाला नहीं है जब तक उसके बीच से अलकोहल स्वरूप आपके अफसरान हट नहीं जाते। आपको ऐसे अफसर बहाल करने चाहिए जिनको जनता से प्रेम हो और जनता की तकलीफ को अपना समझें। आपके सेक्रेटेरियेट में बैठे हुए अफसरान यह नहीं जानते हैं कि एक बीघा में कितना धान होता है। आपके ऐसे अफसर भी हैं जो धान का पेड़ होता है या पौधा होता है यह भी नहीं जानते।

श्री वीरचन्द पटेल—आप नाम बतलाइये कि वे कौन अफसर हैं जिनको मैं कल ही ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हटा दूं।

श्री राम नरेश सिंह—मैं जेनरल बात कहता हूँ कि आपके बहुत से अफसरान हैं जो ऐसा कहते हैं।

अध्यक्ष—आप उदाहरण दीजिए। अगर आप नाम नहीं बताते हैं तो यह उदाहरण भी नहीं है।

श्री राम नरेश सिंह—मेरा कहना है कि जो किसान खेती करते हैं वे इनके अफसरान से भी अच्छे हैं। इनके अफसरान यह नहीं जानते हैं कि धान का बीज एक बीघे में कितना डाला जाता है और कब पानी पटाया जाता है। आप जापानी ढंग से खेती की बात करते हैं लेकिन इस ढंग की खेती में जितना खाद और मैन्योर देना पड़ता है और जितना इस पर लेबर चार्ज लगता है सबका हिसाब किया जाय और किसान अपने खेतों में जो धान रोप देता है, पानी दे देता है उसका हिसाब किया जाय तो जापानी ढंग की खेती के बराबर ही होता है।

अध्यक्ष—आपने हिसाब लगाकर नहीं देखा। यह बात मानने की नहीं है।

श्री राम नरेश सिंह—मानें या नहीं मानें बात सही है। जितना इस जापानी ढंग से खेती पर खर्च पड़ता है उसका हिसाब लगाया जाय तो जो पैदावार होती है उससे बेशी खर्च पड़ता है।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति ! आप अपने को किसान मानते हैं ?

श्री राम नरेश सिंह—मैं किसान हूँ और किसान कार्यकर्त्ता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि केवल एक-दो जगह डिमौन्स्ट्रेशन देने से जनता को फायदा नहीं होता। किसानों को दिक्कत है इन सब बातों को जानने की कि कहां कितना खाद देना चाहिए, कहां कितना बीज देना चाहिए और कितना पटवन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विभाग से इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले पानी का प्रबन्ध कर दिया जाये तब आप जिस ढंग की भी खेती चाहें करने की कोशिश कीजिए। यदि किसान को इससे फायदा होगा तो वे स्वयं इस ओर आकृष्ट होकर ऐसा करेंगे।

अध्यक्ष—क्या जहां पानी का प्रबन्ध है वहां भी आप जापानी ढंग से खेती नहीं करवाना चाहते हैं ?

श्री राम नरेश सिंह—जी नहीं, मैं तो यह चाहता हूँ कि पहले सिंचाई विभाग सब जगह पानी का समुचित व्यवस्था कर दे तब किसी ढंग की खेती कराने की कोशिश करे। पानी का प्रबन्ध नहीं रहने के कारण लोगों की फसल मारी जाती है और लोग परेशान हैं। जमीन का बँटवारा भी नहीं हुआ है इससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। किसानों की आमदनी का जरिया भी खेती ही है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ बम्बई, मद्रास के कहने से आपको तगमा नहीं मिल जायगा और उसीसे आपको अपने काम का इतिश्री नहीं समझना चाहिये।

दाऊदनगर थाने में एन० ई० एस० ब्लौक डेढ़ साल से चल रहा है मगर वहां के प्रोग्रेस को जो एन० ई० एस० के जरिये अथवा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिये हुआ है उसको देखें तो असलीयत का पता चल जायगा। अगर आप वहां के काम की रिपोर्ट मंगाकर देखें तो आपको पता चल जायगा कि जितना रुपया खर्च हुआ है, जितने अफसर बहाल हुए हैं, आदि आदि, उसके अनुपात में काम बिलकुल ही नगण्य है। ये कर्मचारी तथा अफसर लोगों को ब्लफ दे देते हैं। ब्लफ देने में ये लोग बड़े होशियार हैं। ये अफसरान सड़क के किनारे एक दो जगह बढ़िया ढंग से खेती कर देते हैं और जो मिनिस्टर अथवा बड़े-बड़े अफसर उस ओर होकर गुजरते हैं उनको दिखा दिया जाता है। इसी पर मिनिस्टर तथा बड़े-बड़े अफसरान भी खुश होकर चले जाते हैं। इस तरह से काम ठीक से नहीं हो रहा है। सिंचाई मंत्री इस ओर ध्यान दें। इतना ही कहकर मैं बैठ जाता हूँ।

श्री लाल सिंह त्यागी—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रमेश झा के कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूँ। यह देश कृषि-प्रधान देश है। शायद बिहार चावल का उत्पादन करने में सारे देश में सर्वप्रथम स्थान रखता है। एक बहुत ही सुन्दर उक्ति है। उत्तम खेती मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। खेती सचमुच इस देश में सर्वप्रथम स्थान रखती है। इस पर देश के अधिक-से-अधिक लोगों की जीविका निर्भर करती है। बिहार राज्य में अंगरेजों के समय में यहां की

कृषि अधोगति को प्राप्त कर चुकी थी। पहले की सरकार अर्थात् अंगरेज इस सम्बन्ध में बिलकुल अन्यमनस्क रहते थे। इस तरह से चाहे छोटानागपुर की, चाहे उत्तर बिहार की तथा पटना डिवीजन की हर जगह की खेती को नेगलेक्ट करते थे। उस समय भी स्टेट में कृषि महकमा थी लेकिन उसका काम सिर्फ सेक्रेटेरियेट तक ही सीमित रहता था। किसी जगह की खेती तीन बातों पर निर्भर करती है। एक तो जमीन, दूसरी सिंचाई की व्यवस्था और तीसरी चीज है उत्तम बीज। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी ओर समूचित ध्यान दिया जाय तो उत्तमोत्तम कृषि हो सकती है। जिस तरह से संसार के और मुल्कों को खेती में उन्नति करने का अवसर मिला है उस तरह की सुविधा यहां भी उपलब्ध हो तो यहां की खेती भी उन्नति कर सकती है। जहां तक जमीन का सम्बन्ध है उसके प्रत्येक भाग में प्रकृति ने छोटी और बड़ी नदी दी है जो जंगलों और पहाड़ों से होकर समतल भूमि पर आती है। ये नदियां वर्षा काल में बेहद पानी लेकर उन भागों से गुजरती हैं। पिछली सरकार ने इन नदियों को कंट्रोल करने का कोई भी उपाय नहीं किया है। ये नदियां अपने साथ ऐसी चीजें भी लेकर चलती हैं जिससे उपज बढ़ सकती है लेकिन नदियों को कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं होने के कारण लोग उससे लाभान्वित नहीं हो सकते थे। लेकिन जबसे हमारी सरकार आई है इस ओर काफी ध्यान दे रही है। इस सरकार का सबसे पहला काम सिंचाई में तरह-तरह की व्यवस्था करनी रही है। खास कर मध्यम सिंचाई योजना तो बहुत ही सफलता प्राप्त की है। इससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं और हो रहे हैं। इस योजना का अधिकांश काम गया जिला में कार्यान्वित हुआ है। मुझे तब बहुत आश्चर्य होता है जब हमारे कई साथी सूर्य की रोशनी को देख रहे हैं, फिर भी उसको बालू से ढकने की कोशिश करते हैं। इस राज्य में ३०० मध्यम सिंचाई योजना कार्यान्वित हुई है जिसमें लगभग १०० योजना सिर्फ गया जिले में ही कार्यान्वित हुई है। पटना जिले में भी मध्यम सिंचाई योजना काफी कार्यान्वित हुई है जिसकी संख्या लगभग २५ या ३० की होगी। अब मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ वह यह है कि पहले जहां स्लूइसगेट में लकड़ी के किवाड़ बन्द करने और खोलने के लिये लगे हैं उसके बदले नया टाइप का गेट लगाया जाय जिसमें पानी आ जाने पर खोलने या बन्द करने में किसी तरह का खतरा नहीं रहे। इस बार जब मैं अमृतसर गया तो देखा कि उस तरफ बिजली के औटोमेटिक गेट लगे हुए हैं जो बिजली के बटन दबाने से ही खुल या बन्द हो जाता है और अगर सरकार वही चीज यहां भी लगावे तो बड़ा अच्छा होगा।

जहां पथरीली जमीन है या जहां जमीन के नीचे पत्थर है वहां ४ फसल नहीं होती है इसलिये कि पत्थर काटकर कुआं बनाना कठिन है। लेकिन मैं आपके जरिए अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि वे पत्थर काटने की मशीन मंगाकर इस्तमाल करावें ताकि पत्थर काटकर कुआं बनाया जा सके। मैंने ऐसी मशीन को देखा है। यह बहुत जल्दी पत्थर काट देता है। मेरा विचार था कि इस सत्र में मैं इसके सेम्बन्ध में सिंचाई मंत्री को सलाह दूं कि उन पत्थर को काटनेवाली मशीनों को मगावें और जहां पत्थर मिले वहां उनको इस्तेमाल में लाया जाय। इस सम्बन्ध में मैं बिहार सबडिवीजन का उदाहरण देता हूँ। आज से ५–६ साल पहले १९५१–५२ में जब घोर अकाल पड़ा था उस समय हमारे इलाके के लोग आपस में पेड़ की पत्ती और फूल खाने के लिये छीना-झपटी करते थे। उस समय पटना, गया और मुंगेर जिलों में ग्रो मोर फूड स्कीम आयी और उसके द्वारा कुआँ निर्माण करने का आयोजन हुआ। शुरू में सबडिवीजन में १५० कुएँ बने और एक-एक कुआँ के अन्दर १५–२०

एकड़ में सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि शाक-सब्जी भी लोगों ने खाने के लिए उपजाया। गरीब हरिजन, जिनको बाहर में नौकरी नहीं मिलती थी सब उन कुओं पर लिपटते थे और भोजन प्राप्त करते थे। १।। वर्ष के भीतर १,३०० से अधिक कुएँ बने और पिछले दो सालों में किसानों को काफी लाभ हुआ।

कुएँ के सम्बन्ध में जहां तक मुझको बजट देखने का मौका मिला है सबसिडी जो चल रही थी ऐसा मालूम पड़ता है उसको कम किया जा रहा है। मैं कहूँगा कि किसानों को कुआँ से काफी लाभ हुआ है और सबसिडी ५० परसेंट कम-से-कम कुओं के लिये किसानों के लिये रहना चाहिये।

राहट पम्प के जरिए एक बहुत बड़ा साधन सिंचाई का हमारे स्टेट को प्राप्त है। इससे किसानों को काफी लाभ हुआ है। यह बैल से चलता है और इससे किसानों ने लाभ उठाया है। बिजली से चलाने के लिये जो कुआँ बनाया जाता है उसमें हर जगह ३५–४० हजार रुपया खर्च होता है। जहां उसको काम में नहीं लाया जा सकता वहां राहट पम्प से बहुत लाभ मिलता है। इसलिए राहट के कुएँ पर भी सबसिडी मिलनी चाहिए। ५, ६, ७, ८ और १० हार्स पावर के पम्पिंग सेट कृषि विभाग से मिले हैं। इसके अलावे और भी तरह के छोटे पम्पिंग सेट नदियों में लगाकर बिजली के जरिये काम लिया गया है। फतुहा से मोकामा तक ताल एरिया की जमीन है। उसमें सिर्फ रब्बी की ही फसल होती है। मैं समझता हूँ कि चैत और बैशाख के महीनों में मकई के लिये खेती की जा सकती है। मोहाने नदी में गर्मी में पानी रहता है। उसको मध्यम सिंचाई योजना के अन्दर काम में लाना चाहिये और उससे मकई वगैरह की खेती अच्छी तरह हो सकती है। मेहरबानी करके अगर सिंचाई मंत्री बिजली का कनेक्शन दे दें मोहाने नदी के किनारे तो मकई और ऊख की फसल अच्छी हो सकती है। यहां एक कृषि इंजीनियर थे। मुझको याद है कि जब मैं उनके पास पम्पिंग सेट के लिये गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गवर्नमेंट तो अभी आई है। इसके लिये अभी दिल्ली दूर है जब तुम्हारे यहां पम्पिंग सेट होगा। उनके चले जाने के बाद जब हमारी यह मिनिस्टरी आई तो जो पम्पिंग सेट आए उनसे जो लाभ हुआ उसको आप जानकर बहुत ही खुश होंगे।

श्री रामानन्द तिवारी—आप अपना आंकड़ा दीजिए।

श्री लाल सिंह त्यागी—मैं जानबूझ कर गलत नहीं बताऊँगा। केवल पटना डिवी-

---

जन में ७०० से ज्यादा मध्यम सिंचाई योजना के अन्दर पम्पिंग सेट आए और इनके अलावे किसानों ने भी खुद खरीदा। हम सच्चाई के साथ जो कहना है रखते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा यह सलाह सरकार को दूंगा कि पम्पिंग सेट योजना जो चल रही थी उसको बन्द नहीं किया जाय और यदि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में सबसिडी नहीं दे तो भी इस स्टेट से सबसिडी दिया जाय। छोटानागपुर में दूसरी स्कीम अगर नहीं चले तो पम्पिंग सेट को बिजली का कनेक्शन देकर नदियों के किनारे लगाना चाहिए। ऊँची से ऊँची जमीन पर इनके द्वारा पानी पहुँचाया जा सकता है। मोहाने नदी में १५–२० फीट नीचे पानी रहता है गर्मी के महीनों में, लेकिन वहां दो दो पम्पिंग सेट काम में लाया जाता है। एक से पानी बीच के स्थान तक लाया जाता है और दूसरे से पानी ऊपर लाया जाता है। मकई और ऊख की खेती इनसे खूब होती है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि पम्पिंग सेट की योजना को जितना हो बढ़ाया जाय।

छोटानागपुर में पहले जंगल काफी था और पानी घने पेड़ों से होकर बहने पर रुक जाता था। लेकिन अधिक-से-अधिक पेड़ों के कट जाने से जमीन के ऊपर की सतह पानी के बहाव के साथ नदियों में चली जाती है। इसलिये इस ओर कृषि विभाग का ध्यान जरूर जाना चाहिये।

लेकिन उत्तर बिहार की जमीन में ज्यादा से ज्यादा गेहूँ होता है। मैंने बूढ़ी गंडक नदी के किनारे की जमीन को देखा है। जैसे-जैसे बाढ़ का पानी कम होता जाता है वैसे वैसे लोग उसको जोतते जाते हैं और उसमें फसल बोते जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर से खाद नहीं दिया जाता है तब तो फसल में कुछ कमजोरी आ जाती है। इसलिये वहां पर मैन्योर की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये और कृषि विभाग को इसपर खास तौर से ध्यान रखना चाहिये। हमने अपने क्षेत्र में देखा है कि किसान लोग अमोनियम सलफेट और सलफेट फौसफोरस का इस्तमाल करते हैं। हमारे यहां पहले वर्ष में ५५ हजार रुपये का अमोनियम सलफेट बिका और इसके बाद के साल में तो एक लाख कई हजार का बिका। इधर तीन वर्षों में करीब यहां के लोग ४ लाख रुपया तकावी लोन के रूप में लिये हैं। तकावी लोन के रुपये तो किसान ठीक तरह से नहीं दे सके हैं लेकिन वे खाद का रुपया नहीं रखते हैं क्योंकि इससे उनको बड़ा फायदा मालूम होता है। मुश्किल से हजार दो हजार रुपया खाद का बाकी होगा। इसलिये हमारा यह कहना है कि सरकार की ओर से खाद देने के लिये एक खास इन्तजाम होना चाहिये। रासायनिक खाद देने के साथ ही साथ उनको हरी खाद देने और बनाने के लिये भी सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिये। अगर पानी नहीं होता है तब तो रासायनिक खाद देने से पौधा जल जाता है लेकिन हरी खाद देने से ऐसा नहीं होता है। इसलिये दिहातों में लोग हरी खाद को ही ज्यादा पसन्द करते हैं। हरी खाद दो तरह से तैयार किया जाता है, एक तो लोगों के मलमूत्र से और दूसरा सनई और मेचा आदि हरे पौधों से। जहां-जहां पर एन० ई० एस० ब्लोक है वहां पर मलमूत्र को इकट्ठा करने के लिये एक ठेलागाड़ी का इन्तजाम होना चाहिये और उससे खाद बना कर वहां के किसानों को खेती के लिये सरकार की ओर से मिलना चाहिये।

इसके बाद हरी खाद को बनाने में सरकार को सनई आदि के अच्छे बीज के वितरण के लिये अच्छा इन्तजाम करना चाहिये। अच्छा बीज से अच्छा पौधा पैदा होता है और जितना ही अच्छा पौधा रहेगा उतना ही अच्छा खाद होगा। सनई से सन और सुतली भी होती है पर उससे बढ़िया खाद ही अच्छा होता है। इसलिए सनई के अच्छे बीज के वितरण का समुचित प्रबन्ध सरकार की ओर से होना चाहिये। बाहर से अच्छी खाद या बीज को लाकर यहां उसका अनुसन्धान होना चाहिये। यहां से सनई के बीज को श्री रामचन्द्रम् ने दक्षिण भारत में ले जाकर इसका एक्सपेरीमेंट किया है और इसका फल बहुत ही अच्छा पाया गया है। इसलिये सरकार को इसके अच्छे बीज को खोज करके किसानों में उसके वितरण का इन्तजाम करना चाहिये। इसी तरह से जितने अच्छे तरीके सरकार को मालूम हो उसका ज्ञान यहां के किसानों को दिलाना चाहिये ताकि उससे यहां के किसान लाभ उठा सकें। यहां के किसानों को जापानी मेथड से कृषि करने के लिये सिखाना चाहिये।

इसके बाद मेरा यह सुझाव है कि सरकार को चाहिये कि किसानों को फल और तरकारी उपजाने के लिये प्रोत्साहन दे क्योंकि अन्न के साथ-साथ इसकी भी जरूरत पड़ती है। अभी देखा जाता है कि जमींदारी चली गई है और किसानों के पुराने

बगीचे सब कट रहे हैं । सरकार को चाहिये कि फल के बगीचे बचाने के लिये और जो बचे हुए हैं उनको फिर से बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दे । सरकार को चाहिये कि फलों के पौधे मुफ्त में उन लोगों को दे जिसमें वे अच्छे-अच्छे फल पैदा कर सकें।

इसके बाद मैं साग-सब्जी और दलहन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । छोटा-नागपुर में इन चीजों की बड़ी कमी रहती है जिसकी वजह से उत्तरी बिहार के कोई अफसर वहां नहीं जाना चाहते हैं । हमने कई अफसरों से पूछा कि उनको वहां रहने में क्या दिक्कत है । उन लोगों का कहना है कि वहां दलहन और साग-सब्जी की बहुत कमी है । पहाड़ी जमीन होने के कारण मसूर, बूंट, मूंग, इत्यादि चीजें वहां नहीं होती हैं लेकिन हाल ही में जमुई के धीरेन भाई की आदर्श फार्म में खेसारी की खेती की गई थी और पथरीली जमीन होने पर भी वहां इसकी फसल अच्छी हुई है, इसलिये सरकार को पहाड़ी जगहों में भी दलहन की खेती करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये । इस सम्बन्ध में एक कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम वान, निकृष्ट सेवा, भीख निदान । अभी यहां के साढ़े तीन करोड़ आदमियों की शिक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है । इसके बाद कृषि शिक्षा की तो और भी कमी है । सरकार को चाहिये कि ६ महीने या ९ महीने का एक छोटा कोर्स बना कर यहां के किसानों को इसकी शिक्षा दे ताकि वे भूखों नहीं मर सकें । अभी जो हालत है उससे एक फसल या दो फसल होने से स्टेट की बढ़ती हुई जन संख्या को दोनों शाम खाना नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे यहां भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है इसलिये दूसरी, तीसरी फसल को उपजाने की खास व्यवस्था करने की जरूरत है । पहले धान की फसल के बाद दूसरी खेती नहीं होती थी। लेकिन कुछ दिनों से अमहड़ा मौजे में दो-तीन सौ बीघों में धान की खेती के बाद गेहूँ की खेती बहुत अच्छी होने लगी है । इसके अलावे धान की भी दो फसलें होने लगी हैं । एक फसल तो आसानी से बरसात के दिनों में होती है और दूसरी फसल भी अगर पानी की व्यवस्था रही तो हो जाती है । इस ओर सरकार को दो बातों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । दूसरी फसल के लिये पानी की खास व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें सरकार की सहायता की जरूरत होती है । इसके अलावे पढ़े-लिखे लड़कों के अतिरिक्त भी गांव के उन लड़कों को विशेष कृषि शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिये । हमारा ख्याल है कि १–१ पंचायत से ५–७ लड़के लिये जायें और कृषि फार्म में २–३ सप्ताह के लिए उनको विशेष शिक्षा देने के लिए भेजा जाय । वहां वे लोग पाठ का प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बड़ी आसानी से विशेष ढंग की खेती करना सीख सकेंगे । इस तरह की व्यवस्था और स्टेटों में की जाती है। गुजरात के इलाके से ३०० से अधिक लोग अप्रिल महीने में आ रहे हैं जो बिहार स्टेट के फार्मों को देख कर अपने यहां भी यहां की चीजों को उपजाने की कोशिश करेंगे । तो मेरा कहना है कि गुजरात में भी संतरा और केले की खेती होती है । वहां जाकर बिहार के लोग वहां की खास टेकनिक को अगर सीखेंगे तो उनकी जानकारी बढ़ेगी और पैदावार भी बढ़ेगा । पंजाब में धान की खेती नहीं होती थी । लेकिन कम्युनिटी प्रोजेक्ट के सहारे वहां गेहूँ की खेती के अलावे धान काफी उपजने लगा है। उनलोगों ने बताया था कि बिहार प्रान्त के धान की खेती को देख कर उन लोगों ने भी वहां धान उपजाना शुरू किया ।

अगर हमारे यहां से भी लोग भेजे जायें तो हमें उम्मीद है कि गेहूँ, रब्बी और फलों की पैदावार में काफी उन्नति होगी । स्कूल और कालेजों के विद्यार्थियों को कृषि के सम्बन्ध में केवल किताबी ज्ञान अवश्य होता है लेकिन व्यावहारिक रूप से

उनको जो फायदा होना चाहिये वह नहीं होता है। कृषि-शिक्षा पाने वालों में जिन्हें नौकरी करने की इच्छा है या जिन्हें नौकरियों में ले लिया जाता है वे तो एक तरह से अपने सीमित ज्ञान में ही संतुष्ट रहते हैं। चूंकि उनको नौकरी का सिर्फ ख्याल रहता है। जो विद्यार्थी अधिक योग्यता वाले हैं वे भागने की कोशिश में रहते हैं, चूंकि उनको उसमें कोई खास आकर्षण नहीं मिलता है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह लैबोरेटरीज में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है उसी तरह कृषि फार्मों में भी अगर उनको विशेष शिक्षा देने का प्रबन्ध कराया जाय तो उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ेगी और जगह-जगह में भ्रमण करने के बाद वहां से नये ढंग की खेती भी सीख सकेंगे। दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह कहना जरूरी है कि जिस तरह मनुष्यों को स्वस्थ रखने के लिये डाक्टर, चिकित्सालय या औषधालयों की आवश्यकता पड़ती है उसी तरह फसल को भी बीमारी से बचाने के लिये रोक-थाम की जरूरत है। नहीं तो अधिक-से-अधिक मात्रा में फसल बराबर बरबाद हो जायगी। पटना सिटी और सोह में आलू की बहुत बड़ी खेती होती है। वहां कीड़े बहुत फसल बरबाद कर देते थे। मोकामा टाल में भी, जहां हजारों-हजार एकड़ जमीन में रब्बी होती है वहां भी कीड़े बहुत नुकसान पहुँचाते थे। लेकिन जब से प्लैन्ट प्रोटेक्शन विभाग ने इस ओर कुछ ध्यान दिया है किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब उसी पटना सिटी और सोह में पत्तों से ढंके हुए कीड़ों का कोप अब नहीं होता है। इसलिये हम समझते हैं कि फसल की उन्नति के लिये प्लैन्ट प्रोटेक्शन विभाग को बढ़ाना चाहिये। हमारे ख्याल से हरएक जिले में एक इन्सपेक्टर रहना चाहिये, जो पौधों की बीमारियों को रोकने के लिये दवाएँ रखे। उससे किसानों को दवाई आसानी से मिल सकेगी और तभी मधुआ नाम का कीड़ा फसल को नुकसान नहीं कर सकेगा। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि २–४ या १० बीघा जमीन के रखने वालों को खेती करने के लिये सबसिडी देने की व्यवस्था होनी चाहिये। बिना सबसिडी के वे लोग ऊख इत्यादि की खेती नहीं कर सकते हैं। खेती की तरफ एक और तरक्की का कदम उठाया गया है। हमारे यहां जो ३–३॥ एकड़ भी जमीन अलग-अलग जोतने में लगे रहते थे वे सामुदायिक योजना के जरिये लाभ उठा रहे हैं। सामुदायिक विकास योजना के द्वारा ही जापानी खेती के तरीके से लोगों ने खेती की। इसके द्वारा धान की उपज में काफी प्रगति हुई है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रमेश झा के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री राधा मोहन राय—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रमेश झा के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कृषि विभाग के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपना-अपना विचार रखा है और मैं भी अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि मैं भी अपने क्षेत्र के बारे में, अपना विचार रखूं। मेरा इलाका नहर का इलाका है फिर भी बहुत इलाके ऐसे हैं जहां माइनर इरीगेशन, मीडियम इरीगेशन के जरिये सिंचाई का काम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जहां पर मध्यम सिंचाई योजना का काम शुरू किया जा रहा है वहां पर सरकार का काम बहुत ढिलाई से चल रहा है। मुझे याद है मैंने बहुत-सी स्कीमें सरकार के सामने अपने क्षेत्र से दिलवायी थीं। एक स्कीम कोथुआ का है और दूसरी स्कीम नगरी का है जो शाहाबाद के पीरो थाने में पड़ता है। जेठवारा के लिये भी स्कीम दी थी जहां बांध बंधवा कर सिंचाई का काम लिया जा सकता है। इसके अलावे मुझे जगदीशपुर में भी जाने का मौका मिला है; वहां बहुआरा के

किसानों ने एक बांध के लिये दर्खास्त दी। मुझे जहां तक जानकारी है बेनिफिशियरिज लिस्ट भी सरकार के सामने पड़ी हुई है लेकिन अफसोस इस बात की है कि जो इंजीनियर स्थान पर गए हैं उन्होंने, जहां किसानों के हित के लिए काम होना चाहिए था, मुझे याद है उस स्कीम को गलत ठहराया। इस तरह की स्कीम जिस बस्ती का मैं रहनेवाला हूँ वहीं की है। जो इंजीनियर गए उनका नाम मुझे याद है, उनका नाम जे० डी० राय है। ऐसे इंजीनियर, जो इस ढंग से देखा करते हैं और रिपोर्ट सरकार के सामने पेश किया करते हैं कि स्कीम लेने के लायक नहीं है। ग्राम तार, थाना पीरो के स्कीम के सम्बन्ध में भी यही हुआ था। उस समय मैंने वहां के किसानों को डिप्टी मिनिस्टर के सामने लाया था और उस स्कीम को कृषि विभाग के चीफ इंजीनियर ने वहां जाकर देखा और कहा कि किसान जो मांग करते हैं कि उसमें स्लूइश गेट लगना चाहिये, ठीक है। अगर जे० डी० राय के ऐसे इंजीनियर होंगे तो काम में देर होगी और किसानों का काम नहीं चल सकता है। जगदीशपुर थाने की बात मैं कहता हूँ। जे० डी० राय ने उस स्कीम को गलत ठहराया था लेकिन वहां के किसानों ने कच्चा बांध बांध कर अपने खेत की सिंचाई की। हर साल बरसात के समय पानी लगता है, किसान लोग खेत पटाते हैं फिर भी वे कहते हैं कि इस बांध से किसानों का फायदा होनेवाला नहीं है।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान कुएँ की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जितने कुएँ बने हैं, अधिक मेरे क्षेत्र में ही बने हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। जो अच्छे कर्मचारी हैं, इसमें शक की गुंजाइश नहीं, जो उस लाके के रहनेवाले हैं वे भी उसे चाहते हैं; वहां काम शुरू होने के वक्त एडवांस पेमेंट यानी अग्रिम रुपया मिलना चाहिये, ऐसा नहीं करने की वजह से काम जितनी तेजी के साथ होना चाहिये नहीं हो सकता है। इसलिये मैं सिफारिश करूँगा कि जहां के कर्मचारी पर विश्वास है वहां किसानों के काम शुरू होने के समय अग्रिम रुपया मिलना चाहिये तभी सिंचाई का काम बढ़ सकता है। जिस तरह से सरकार का काम चलता है, मीडियम या माइनर इरीगेशन का, यदि उस इलाके मे कर्मचारी पक्ष में जनता है, उस पर विश्वास है, जब काम जारी है उस हालत में उसका तबादला कर देना ठीक नहीं है। सरकार के सामने कई विभाग हैं। मेरे यहां, पीरो थाना में अग्रिकल्चर विभाग है। वहां का कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहां की जनता का उस पर विश्वास है। उस इलाके में रह कर उसने माइनर रीगेशन का काम आगे बढ़ाया है लेकिन अफसोस है कि ऐसे मौके पर उच्च वर्ग के अधिकारी ने तबादला करके अच्छा नहीं किया। ऐसा होता है कि जब किसी का तबादला होता है तो एक महीना पहले से वह काम छोड़ देता है और कहता है कि हमारी तो बदली होनेवाली है। अब हमें काम से क्या मतलब! जहां का काम अच्छा से चल रहा है वहां लोगों को रखा जाय जिससे काम बढिया से चल सके।

इसके अलावा जापानी ढंग से भी खेती करने का जिक्र किया गया है, इसके बारे में भी कुछ कह देना मैं उचित समझता हूँ। मैंने खुद जापानी ढंग से खेती की है। मैं समझता हूँ कि जापानी ढंग से किसानों को फायदा होनेवाला है लेकिन सरकार को इसके लिये समय पर बीज देना चाहिए, खाद देना चाहिए।

श्री गुप्तनाथ सिंह—एक एकड़ में आपने कितना धान पैदा किया ?

श्री राधा मोहन राय—मैंने ४५ मन पैदा किया। जहाँ पर १५ मन फी एकड़

पैदा होता था वहां पर अगर ४५ मन हो जाय तो मैं समझूंगा कि मैं तरक्की पर हूँ। सरकार समय पर बीज देने के लिए, खाद देने के लिए मुस्तैद रहे.........

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति ! आप मेरे समर्थक निकले ।

श्री राधा मोहन राय—जापानी ढंग से जो खेती होती है उसके पक्ष में मैं बोल रहा हूँ । सरकार की जो सुस्ती है खाद और बीज देने में उसकी ओर सरकार का ध्यान में आकृष्ट करना चाहता हूँ । यह उचित है कि समय पर फायदा पहुँचाने के लिए खाद और बीज दिया जाय ।

अध्यक्ष—और पानी भी।

श्री राधा मोहन राय—मैंने पानी के बारे में पहले ही कह चुका हूँ । मैंने पहले ही कहा है कि माइनर और मीडियम इरीगेशन का काम मुस्तैदी से चलावें । इसके अलावे सरकार से मैं एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूँ । जैसा कि सुनने में आया है, माइनर इरीगेशन का काम पहले जैसा चलता था उसके मुताबिक सरकार बेनिफिशियरीज लिस्ट तैयार करके काम शुरू कर देती थी । जब उसका काम होता था उसके बाद किसानों से रुपया वसूल किया जाता था, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार ने फैसला किया है कि जहां माइनर इरीगेशन का काम शुरू किया जाय वहां के किसानों से आधा रुपया पहले वसूल कर लिया जाय तब काम शुरू किया जाय । मैं समझता हूँ कि आजकल के जमाने में किसानों में कितनी एकता है, इसे हम और आप सभी जानते हैं । वैसी हालत में पहले रुपया वसूल करने का जो तरीका रखा गया है मैं समझता हूँ इससे पैदावार में वृद्धि नहीं होगी ।

श्री वीरचन्द पटेल—ऐसी बात तो नहीं है । एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो माइनर इरीगेशन के काम होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है ।

श्री राधा मोहन राय—मैंने यह आश्वासन पा लिया, इससे मुझे खुशी है ।

मैं समझता हूँ कि इससे किसानों का फायदा होने वाला है । इसके अलावा और भी मीडियम इरीगेशन के सम्बन्ध में मैंने आपका ध्यान दिलाया है । एक कसाप गांव है जो रेलवे स्टेशन के नजदीक है वहां तीन वर्षों से काम शुरू हुआ लेकिन सरकार को सफलता नहीं मिली और पानी नहीं निकल सका । वहां के एक किसान श्री राम सिंह ने बार-बार सरकार के सामने निवेदन किया कि हमारे यहां पानी नहीं निकला इसलिये इस पाइप के सम्बन्ध में जो खर्च हुआ उसका भार सरकार को लेना चाहिए और जो खर्च पड़ा है वह हमें मिल जाना चाहिए । जो पाइप वहां लगायी गयी है उसको निकालकर सरकार दूसरी जगह ले जाय । लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है । तीन वर्षों तक वे दौड़ते रह गये । कभी उनको जवाब मिला कि जाकर हम देखेंगे, कभी कहा गया कि बाद को काम हो जायगा । इस तरह सालो-साल गुजरते जा रहे हैं । इसलिए मैं समझता हूँ कि पैदावार बढ़ाने के लिये और किसानों के हित की जो बात कही जाती है उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रमेश झा के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्रीमती सुमित्रा देवी—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रमेश झा के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। कल से ही इस विषय पर बहस चल रही है और बहुत से माननीय सदस्यों ने कृषि की उन्नति और अवनति के बारे में बहुत कुछ कहा है, मैं समझती हूँ कि यह बात बिलकुल सत्य है कि जो कृषि विभाग की उन्नति के काम हुए हैं वे प्रशंसा के योग्य हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूँगी कि कृषि विभाग के ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं। उनको समझना है कि जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरह से थोड़ी जमीन में ज्यादा-से-ज्यादा पैदा करना चाहिए। ऐसी हालत में मेरे ख्याल में कृषि विभाग की जिम्मेदारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और उन्हें चाहिए कि जल्द-से-जल्द कोई ऐसा तरीका इस्तमाल करें जिससे उपज खेतों में ज्यादा हो। मैं मानती हूँ कि अभी भी बहुतेरे किसान ऐसे हैं जिनको यह ज्ञान नहीं है कि खाद का कितना हिस्सा खेतों में ठीक-ठीक प्रमाण में डालें। इसके लिये कृषि विभाग की ओर से जगह-जगह प्रदर्शनी केन्द्र खोले जायं जिससे किसानों को जानकारी हो सके और वे खाद तथा नये तरीके से लाभ उठा सकें। इसके अलावा साथ-ही-साथ सरकार को मैं ऐसी सलाह दूंगी कि जो सिंचाई का विभाग है उसको अलग नहीं रख कर कृषि विभाग के साथ कर देना चाहिये ताकि खेती के कामों में ज्यादा आसानी होगी और अच्छी तरह से काम होगा। कई बार ऐसा हुआ है कि कृषि विभाग के खेत पानी की वजह से सूख गये हैं और सिंचाई मंत्री पानी का कोई इन्तजाम नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव यह है कि सिंचाई विभाग को कृषि विभाग के जिम्मे दे दिया जाय तभी किसान ठीक तरीके से खेती कर सकते हैं और पानी पटा सकते हैं।

इसके अलावा मैं कृषि विभाग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि मेरे यहां जापानी ढंग से खेती हुई है तो एक एकड़ में ६० मन धान की उपज हुई है। खेतों में सनई की खाद इस्तेमाल करने से उपज ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि पहले पानी काफी मिलना चाहिये ताकि सनई खेत में गल सके।

साथ-ही-साथ मैं यह कहूँगी कि और विभागों की तरह कृषि विभाग में भी कुछ गड़बड़ी है। वह यह है कि एक तो समय पर काम नहीं होता है जिसकी ओर हमारे कई माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है। मेरे इलाका, जगदीशपुर में, जहां से मैं आई हूँ, बहुआरा, कवरा और दांवां बांध के लिए चार वर्षों से कृषि विभाग का ध्यान दिलाती रही हूँ और अब कृषि विभाग के औफिसर वहां जाकर नापी भी करायें और देखें। कुछ लोग वहां गये और नाप-जोख भी हुआ लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि बांध बांधने से हमलोगों की बस्ती डूब जायगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी बात नहीं है; वहां आप जल्द-से-जल्द बहुआरा बांध बांधने की कोशिश करें और साथ-ही-साथ और भी जो दो-एक बांध है जैसे, छेर बांध और बनास बांध, इनकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इसके अलावा कुछ और भी गड़बड़ी कृषि विभाग में हो रही है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। देखने में आया है कि जो कर्मचारी एग्रोनौमी पढ़े हुए हैं उनको केमिस्ट्री में भेज दिया जाता है और जो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं उन्हें एग्रोनौमी में भेज दिया जाता है। इस तरह की गड़बड़ियां नहीं हों तो कृषि विभाग को काम करने में ज्यादा सहूलियत होगी। फिल्ड एक्सपेरिमेंटल सर्विस स्कीम जो चार-पांच वर्षों से वहां चल रही है और बहुत-से कर्मचारी जो उसमें चार-पांच वर्षों से काम कर रहे हैं, अभी तक परमानेन्ट नहीं हो सके हैं हालांकि डिपार्टमेंट परमानेन्ट हो गया है, जिसकी वजह से वहां के कर्मचारियों को काम करने में उत्साह नहीं मिलता है।

श्री वीरचन्द पटेल—ऐसे कौन कर्मचारी हैं ?

श्रीमती सुमित्रा देवी—एक तो रघुनाथ प्रसाद टाइपिस्ट हैं और बहुत-से और भी हैं जिनके नाम अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं पीछे बतला दूंगी। हमारे यहां नियम यह है कि तीन वर्ष काम करने के बाद लोग परमानेन्ट हो जाते हैं इसलिए जब यह स्कीम परमानेन्ट हो गई तो उनलोगों को भी परमानेन्ट हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

साथ-ही-साथ कृषि विभाग की ओर से जो छोटे-छोटे कुएँ या ट्यूब वेल वगैरह बनाये जाते हैं इनकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। हमारे यहां जगदीशपुर थाने में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां कई वर्षों से अकाल पड़ रहा है। पानी की सुविधा वहां नहीं रहने के कारण किसान खेती नहीं कर पाते हैं। इन सारी बातों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूँ।

(बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री बाबू लाल टुड्डू—अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू से अबतक कभी भी नहीं बोल सका हूँ, मैं कई बार खड़ा हुआ लेकिन मौका नहीं मिला।

अध्यक्ष—मेरे पास जिन-जिन माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग नहीं लिया है उनकी लिस्ट है। आप इन्तजार करें, आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री पदारथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, जब करोड़ों-करोड़ रुपया हम कृषि विभाग को खर्च करने के लिये देते हैं तो हम यह देखना चाहेंगे कि यह रुपया मनमाने ढंग से या पक्षपातपूर्ण नीति से खर्च तो नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, मैं और जगहों की बात तो नहीं बतला सकता लेकिन मेरे सबडिवीजन औरंगाबाद की जो बात है और जहां तक मध्यम सिंचाई योजना का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूँ कि वहां रुपया मनमाने ढंग से खर्च किया जा रहा है और पक्षपातपूर्ण नीति से खर्च किया जा रहा है। जहां जरूरत है वहां नहीं खर्च किया जाता है और जहां नहीं जरूरत है वहां खर्च किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं चार वर्षों से यहां आया हूँ और कई बार मैंने स्वयं और दरखास्त के द्वारा भी कृषि विभाग के अधिकारियों का ध्यान अपने क्षेत्र के मध्यम सिंचाई योजनाओं की ओर आकृष्ट किया लेकिन आज तक इस ओर सुचारु रूप से ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ओबरा थाने में दो बांध बांधे गये हैं जो ऐसी जगहों में हैं जहां विशेष रूप से उनकी जरूरत नहीं थी। होलकीचक का बांध जो रामनगर के लिये खासकर बंधा था उससे रामनगर को पानी भलीभाँति नहीं मिल पाता है। तुलसी चौरा का बांध बड़ा मशहूर बांध है, वहां हर साल बरसात के दिनों में सैकड़ों किसान बांध बांधने के लिये महीनों भर परेशान रहते हैं। उसकी ओर सरकार का ध्यान आज तक नहीं गया है और कोई कदम भी सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। शुरू में ही जब सिंचाई विभाग की ओर से

एक कान्फ्रेंस हुई थी उसमें भी मैंने उस बांध का नाम दिया था लेकिन फिर भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। एक होलीचक बांध बांधा गया और एक बांध तुलसी चौरा के ऊपर धीरा मांझी बांध बांधा गया लेकिन तुलसी चौरा बांध जो मशहूर बांध है उसे छोड़ दिया गया; उसकी ओर कोई भी ध्यान आज तक नहीं दिया गया। श्री जे० डी० सहाय ने जो एक्जेक्युटिव इंजीनियर थे कहा था कि चार मील तक होलीचक बांध से पटवन हो सकेगा लेकिन उससे एक मील के अन्दर एक दो गांव के सिवा और गांवों को कोई भी फायदा नहीं है। रामनगर के लिये जो बांध बांधा गया उससे रामनगर को भी विशेष फायदा नहीं हुआ। तुलसी चौरा बांध अभी तक पडा हुआ है, न मालूम सरकार क्या करने जा रही है। हम चाहेंगे कि सरकार यथाशीघ्र इस बांध को बंधवा कर किसानों का दुःख दूर करे।

दूसरी बात यह है कि ओबरा थाने में एक बेल पईन है, वह पईन महा टांड़ इलाके से होकर जाती है। इसका काम अभी तक नहीं हुआ है, हालांकि वह जिला से पास हो गया है लेकिन सरकार के पास प्रान्त में वह स्कीम पड़ी हुई है। इसकी ओर सरकार का ध्यान शीघ्र जाना चाहिए। हमारे साथी श्री रामनरेश सिंह ने बारून थाने के मुल्की और खेरा पईनों का जिक्र किया, मैं भी इनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। चार वर्षों से इसके विषय में कहा जा रहा है लेकिन अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ है हालांकि ये भी जिला से पास होकर प्रान्त में पड़ी हुई हैं। सिरीश कृषि फार्म की बात हमारे साथी श्री राम नरेश सिंह ने की है इसलिए मैं उसके विषय में सिर्फ एक दो बात कहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो वहां के किसानों की जमीन लेने की बात सोच रही है, फार्म की वृद्धि के लिये, यह ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि किसानों की जमीन वह न ले क्योंकि फार्म से तो कोई फायदा आज तक उस इलाके के किसानों को नहीं हुआ और न होने वाला ही है। अगर सरकार चाहती ही है कि फार्म रहे तो जी० टी० रोड के दक्षिण जो विशाल जमीन पड़ी हुई है उसे सरकार उपयोग में ला सकती है और फार्म का काम अच्छी तरह चला सकती है। जिन किसानों की जमीन फार्म में लेने की है, वे किसान छोटे-छोटे किसान हैं और उनके पास दूसरी और जमीन नहीं है। अतः वे भूखों मर जायेंगे। जीविका का साधन छिन जाने से वे बाल-बच्चे सहित मर जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में कृषि विभाग की ओर से जो कुएँ बनाये जा रहे हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कृषि विभाग से जो सहायता मिलती है उसमें एडवांस नहीं मिलता है इसलिये किसानों को बहुत परेशान होना पड़ता है। अगर सरकार चाहती है कि पटवन का काम इनारों से अच्छी तरह चल सके तो सरकार को चाहिए कि वह इसके लिये एडवांस का प्रबन्ध करे और समय पर किसानों को रुपया दे दें ताकि ज्यादा-से-ज्यादा कुआँ किसान बनवा सकें।

किसानों को बिल पेमेंट होने में बड़ी देर होती है और उन्हें घूस में रुपये खर्च करने पड़ते हैं। कृषि विभाग के ओफिसरों में घूसखोरी बढ़ गई है। बिना घूस दिये किसानों का काम नहीं होता है, अतः इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूँ।

श्री राम नारायण मंडल—अध्यक्ष महोदय, श्री रमेश झा का जो कटौती का प्रस्ताव

सदन के सामने है उसके सिलसिले में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज का विषय कृषि है। इस सदन के लोग और अन्य सभी आदमी इस बात को

जानते हैं कि कृषि बिहार का ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष का एक प्रधान व्यवसाय है। इसकी उन्नति पर ही भारत का या हमारे सूबे का उत्थान निर्भर करता है। कृषि की उन्नति पर ध्यान नहीं रखा जायगा तो बहुत बड़ी भूल होगी और इसके बिना हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं।

खेती करने का ढंग हमारे यहां बहुत पुराना है। देहातों में जो लोग खेती करते हैं वे पुराने ढंग से और वही हल-बैल से और खाद से। सरकार ने कहीं-कहीं सिंचाई का इन्तजाम किया है लेकिन बहुत-से हमारे इलाके हैं जहां सिंचाई का कोई इन्तजाम नहीं हुआ है जिससे हजारों-हजार बीघा फसल बरबाद होती है। कहीं अति-वृष्टि से, कहीं अनावृष्टि से, और कहीं बाढ़ की वजह से फसल बरबाद होती है। इसके अलावे मैं खास-खास बात की ओर इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

ऐग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो सबौर से आते हैं उनके सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आप खेती करना चाहते हैं वैज्ञानिक ढंग से। लेकिन आज कृषि स्नातकों की क्या हालत है, उनकी कितनी दयनीय अवस्था है, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। खासकर मैं डिपुटी मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ जो यहां मौजूद हैं कि कृषि स्नातकों की तरफ ध्यान दें। उनको जितने विषयों का ज्ञान हासिल करना पड़ता है उसमें से दो-चार विषयों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। वे पढ़ते हैं और खेती भी करते हैं। ८ बजे से लेकर ८ बजे रात तक यानी १२ घंटा वे पढ़ते हैं और खेतों में काम करते हैं। आई० एस० सी० पास करके वे जाते हैं और ३ वर्ष तक वहां पढ़ते हैं। उनको इन-इन विषयों को पढ़ना पड़ता है—ऐग्रीनोमी, बोटानी, जीओलौजी, एन्टोमोलौजी, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, फार्म मैनेजमेंट, हार्टिकल्चर, डेयरी ऐंड एनीमल हसबैंडरी, वेटेरिनरी, रूरल एक्सटेन्शन आदि, आदि। जब आप विकास करना चाहते हैं, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरिया में तो मैं आपसे कहूँगा कि तीन वर्ष पढ़ने के बाद और खेती के काम करने के बाद जो ग्रेजुएट्स कृषि के निकलते हैं उनको टेक्निकल ग्रेजुएट्स की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते हैं? उनको उतनी सुविधा क्यों नहीं देते हैं? आप कहते हैं कि हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं तो हम विकास का काम कैसे करें। हमको टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए। लेकिन आज कृषि के काफी मात्रा में स्नातक मौजूद हैं। उनको आप इंजीनियरिंग कालेज और वेटरिनरी कालेज से निकले हुए स्नातकों की तरह व्यवहार नहीं करते। कृषि स्नातक को जहां आप १०० रुपया देते हैं वहां दूसरे टेक्निकल स्नातकों को २२० से शुरू करते हैं। आप एलान करते हैं कि हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहते हैं, और उसके लिये ग्रेजुएट्स तैयार करते हैं लेकिन उनको दूसरे टेक्निकल स्नातकों की तरह सुविधा नहीं देते हैं। आप जापानी ढंग से खेती को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और इसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। कहां कितनी मात्रा में खाद दी जाय और कहां नहीं दी जाय, इन बातों को देखने के लिये एक्सपर्ट की जरूरत है। दूसरी दिक्कत यह है कि आप नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस में इनको आर्डिनरी ग्रेजुएट्स के रूप में बहाल करते हैं। इनको खेतों में काम करने का अनुभव है और इन्हें किसान और मजदूर के साथ काम करने का अनुभव है, फिर भी आप इनको आर्डिनरी ग्रेजुएट्स की तरह ट्रीट करते हैं। यह ठीक नहीं है।

(इस अवसर पर श्री गुप्तनाथ सिंह ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

सभापति महोदय, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखते हुए, और उनके पे आफ स्केल को देखते हुए उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और सरकार का ध्यान इस ओर जाना

चाहिए। कई बार सरकार की ओर से आश्वासन भी मिला है और हमारे मिनिस्टर साहब ने ३० सितम्बर को एक वक्तव्य भी दिया था कि हम उनका पे ऑफ स्केल एक कर देंगे लेकिन आज तक वह कार्यान्वित नहीं हुआ। मेरा कहना है कि सरकार को इसपर विचार करना चाहिए और कृषि स्नातकों को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो दूसरे टेक्निकल स्नातकों को है।

अब मैं अपने जिले की ओर आता हूँ। पूर्णिया जिले के कुछ माननीय सदस्य बोल चुके हैं और जिन बातों की ओर उन्होंने सरकार का ध्यान दिलाया है उनको मैं नहीं कहूँगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कोसी तो हमलोगों को छोड़कर ७० मील पश्चिम चली गयी लेकिन उसकी वजह से जो पूर्णियां जिला बरबाद हो चुका है वह शोचनीय है। वहां एक बीत्ता मिट्टी के नीचे बालू ही बालू है। इसलिये वहां सिंचाई का खास इन्तजाम होना चाहिए।

माइनर इरीगेशन का काम भी थोड़ा-बहुत हुआ है और उसमें लाखों-लाख रुपया बरबाद हुआ है। कहीं बांध, कहीं पोखर, कहीं नाला में सब रुपया खत्म हो गया है। जो बालुकामय इलाका है वहां इससे काम नहीं चलेगा। वहां तो सिंचाई का ठोस प्रबन्ध होना चाहिए।

हमारे यहां लघु सिंचाई योजना से एक धूर जमीन भी नहीं पटती है फिर भी आधा रुपया रैयतों को देने के लिये कहा जा रहा है, सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। इसके लिये लोगों ने दरखास्त भी दी है मगर सरकार कहती है कि हमारे कागज में लिखा हुआ है हम तो रुपया लेंगे ही। सिंचाई एवं राजस्व विभाग के मंत्री का भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि आप इसकी जांच करावें और जो सही बात हो उसके मुताबिक कार्रवाई करें लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोशी योजना कार्यान्वित हो रही है इसके लिये हमें खुशी है। जब इस तरह की धांधली होती है तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जिले में लघु सिंचाई का काम बन्द ही कर देना चाहिये। वहां तो आप कुआँ वगैरह खुदवा दें उसीसे हमलोगों का काम चल जायगा तथा जो उस इलाके में नदी नाले हैं उसमें बरसात के पानी को जमा करने का प्रबन्ध कर दिया जाय तो हमलोगों की फसल नहीं नुकसान होगी। इस साल हथिया में पानी हमारे यहां नहीं हुआ; हमारा धान सूख गया। इसके लिये हमने सरकार के सिंचाई विभाग के पास दौड़ लगायी और कहा कि जो भी रेन्ट लेना हो लेकर हमारी फसल बचाई जाय, उसका उपाय करें लेकिन सब निष्फल हुआ। अगर सरकार चाहती है कि फसल की बरबादी को रोकें, तो वक्त पर पानी मिले इसका प्रबन्ध होना निहायत जरूरी है। अगर वहां के किसानों को वक्त पर पानी मिल जायगा तो उनलोगों से जो भी रेन्ट चाहेंगे मिल जायगा।

दूसरी बात जो मैं पूर्णिया के किसानों की तरफ से कहना चाहता हूँ वह है सर्वे के बारे में। इसके चलते वहां के किसान तबाह हो रहे हैं। मैं तो सरकार से अनुरोध करूँगा कि सरकार इस चीज को वहां बन्द करा दे; वहां और भी दूसरी तरह के टैक्स लगने जा रहे हैं। बजट के भाषण में आपने देखा होगा कि सेस में प्रति रुपया एक आना टैक्स बढ़ाया जा रहा है; वहां पर फिर किसी दूसरी तरह का टैक्स लगाना मेरे विचार से मुनासिब नहीं है। एक तरफ तो आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये तरह-तरह के टैक्स लगाने जा रहे हैं मगर दूसरी तरफ किसानों की पैदावार की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है जिसके लिये मुझे बहुत दुख है। अगर आप किसानों के खेत की पैदावार को २० गुना बढ़ा दें तो वे आपको अपनी पैदावार का

५० प्रतिशत टैक्स के रूप में खुशी-खुशी दे देंगे। आप किसानों की फसल को बरबाद नहीं होने देने का कोई गारन्टी नहीं देते हैं, इसलिये मैं कहता हूँ कि जब तक आप उनकी फसल को बरबादी से रोकने का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं कीजियेगा तबतक आपको टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। खास करके उस जगह में जहां सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है वहां आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिये। क्या हमलोगों की उपज बढ़ गयी है जो आप टैक्स पर टैक्स लगाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सरकार को अभी टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये।

अब मैं आपका ध्यान मीडियम इरीगेशन स्कीम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस स्कीम के अन्दर दो एक जगह पर हमारे इलाके में भी बांध बंधा है मगर वह कारगर नहीं हुआ है। इसके लिये कई माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस्लामपुर में एक पुराना बांध जोगता गांव है। वह एक पहाड़ी नदी से निकाली गई है, उसकी हालत भी खराब हो गयी है। अगर उसको ठीक कर दिया जाय तो हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है लेकिन लाख कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चोपरा थाने में एक और बांध है (भेलसा बांध) जो नेपाल के बोर्डर पर है। यह पहाड़ी नदी से निकलती है। इसकी हालत अच्छी नहीं है; अगर इसे भी दुरुस्त कर दिया जाय तो सिंचाई में बहुत सुविधा होगी। पहाड़ी नदी होने के कारण उसमें उपज बढ़ाने की शक्ति भी रहती है इसलिये उसके पानी को रोक रखने का इन्तजाम किया जाय तो ४ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। इसके अलावा एक अचरा बांध है जो हिमालय से निकलनेवाली सुरसंड नदी में है। इस नदी का पानी सहरसा जिले के कुछ भागों में भी आता है। इस बांध को लोगों ने अपनी मेहनत से बांधा है। फिर भी इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है; अगर उसे कर दिया जाय तो बहुत फायदा होगा। जबतक कोशी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तबतक सरकार को चाहिये कि जितनी भी छोटी या बड़ी नदी-नाले हैं उससे सिंचाई का प्रबन्ध कर दिया जाय जिससे लोगों की फसल न बरबाद हो।

अब मैं सरकार का ध्यान कृषि विभाग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हर जिले में इसके प्रयोग का डिमौंस्ट्रेशन हो रहा है। इसके जरिये क्या काम हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। इससे खेती के कामों में कोई सुधार नहीं हो रहा है।

कृषि विभाग के अफसर कृषि के तरीकों का डिमौंस्ट्रेशन नहीं करते हैं और जो बीज दिया जाता है वह समय पर नहीं दिया जाता है। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हर बस्ती में डिमौंस्ट्रेशन करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि कम-से-कम खर्च में सुविधापूर्वक किस तरह बढ़िया खेती की जा सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

<u>श्री बाबूलाल टुडू</u>—माननीय सभापति महोदय, आज १२ दिन कसरत करने पर मुझको....।

<u>सभापति (श्री गुप्तनाथ सिंह)</u>—आप इसको वापस ले लीजिए।

<u>श्री बाबूलाल टुडू</u>—अच्छा, मैं इसको वापस ले लेता हूं। सभापति महोदय, मैं रमेश झा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ-साथ में संताल परगना और दामिने कोह एरिया की कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज कृषि विभाग

के अफसर या कर्मचारी जो कृषि के नाम पर रुपया खर्च कर रहे हैं वह बिल्कुल नाजायज तरीके पर हो रहा है। उस इलाके में जो भी काम कृषि विभाग ने किया है उसमें बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई है। आपको एक बांध का उदाहरण मैं देता हूं। दुमका से होते हुए चीफ सेक्रेटरी जा रहे थे। एक बांध को देखकर उन्होंने पूछा कि उसका प्लान किसने तैयार किया है। किसी ने जवाब नहीं दिया कि कौन कर्मचारी उस बांध को प्लान किया। उसकी यह हालत है कि उत्तर की ओर एक पाईप बैठाया और पूरब में दो पाईप बैठाया। मैंने वहां जाकर देखा और वहां की जनता भी नहीं समझती कि उत्तर में पाईप बैठाने से पानी कहां से जमा होगा। हमने पूछा कि उत्तर में बांध देने से पानी कहां से आवेगा तो कहा गया कि रोड के किनारे नयानजुली को बांध कर नीचे से ऊपर पानी लाया जायगा। इस तरह रुपया खर्च किया जा रहा है और इस तरह आपके अफसर धांधली मचा रहे हैं। मैं कहूंगा मंत्री से कि इस विभाग के खर्च से छोटी-छोटी नदियों को मध्यम सिंचाई योजना के रूप में बांधें तब जनता को फायदा हो सकेगा।

श्री वीर चन्द पटेल—आपने अभी किस बांध का जिक्र किया?

श्री बाबूलाल टुडू—गोपलाडीह बांध। मैं उन नदियों का यहां जिक्र कर देता हूं

जिनको सिंचाई योजना के अंदर बांध कर जनता की भलाई की जा सकती है। लहरी कुंडा नदी एक है जिसके संबंध में पहले से भी मैं कहता आ रहा हूं; लेकिन सरकार ने उसपर कोई ध्यान अबतक नहीं दिया। फिर गिलहा नदी को बांधना चाहिए। उसी तरह डुमरा झरना नदी, कुमहारिया तेलो नदी, राझन जुरुस नदी, लखीपुर झारन नदी और झमुरबाद झरना नदी को बांध देना चाहिए। लहरी कुण्ड नदी के बांध से करीब १५ मील की दूरी की जमीन की सिंचाई होगी और सहूलियत से खेती होगी। उसमें और एक झारन नदी ढासवा पहाड़ से निकलकर मिलती है और उस नदी में मौजा घोपडीह में एक पक्का बांध देने से तीन मौजों की खेती होगी और मौजा खुटना में एक पक्का बांध देने से पांच मौजों की खेती होगी। फिर सोना जूड़ी मौजा में एक पक्का बांध देने से दो मौजों की खेती होगी। कोदमा मौजा में पक्का बांध बांधने से चार मौजों की खेती होगी। गिलहा नदी में मौजा चन्दर डीमाया काटरी दलाही में पक्का बांध देने से ६ मौजों की खेती होगी। सीरामपुर झारन श्रोत में जो बराबर बहता है पक्का बांध देने से तीन मौजों की खेती होगी। डुमरा मौजा में बांध बांधने से दो मौजों की खेती होगी। लखीपुर में पक्का बांध बांधने से तीन मौजों की खेती आसानी से होगी। झुमुर वाद में बांध देने से तीन मौजों की खेती होगी। कुमहारिया मौजा में बांध बांधने से पांच मौजों की खेती होगी और राझन मौजा में बांध देने से ६ मौजों की कृषि होगी। इतना रुपया बांध बनाने में खर्च किया गया है उस एरिया में लेकिन जनता को उससे कोई फायदा नहीं हुआ है और अब आधा रुपया वसूल करने सरकार जा रही है। आप जानते हैं कि उस एरिया में खेती पर ही ज्यादा लोग निर्भर करते हैं। अगर कृषि नहीं हुई तो उनके लिए मजदूरी छोड़कर कोई जरिया नहीं रह जाता है। सरकार ने जैसे हर चीज को कंट्रोल किया है उसी तरह भगवान पानी को भी कंट्रोल किया है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि उस क्षेत्र की छोटी-छोटी नदियों को बांध कर जनता को सहूलियत दे। हमारी सरकार कहती है कि जनता की बहुत भलाई करती है लेकिन यह सब कागज पर ही देखने को आता है।

हमारे दामिन क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से कोई इंतजाम नहीं होता है और इससे ऐसा मालूम होता है कि वहां पर सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती है।

इसके बाद मैं कुआं बनाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार की ओर से कुएं बनाने में किस तरह की मदद मिलती है उसका एक नमूना आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमारे यहां कृषि विभाग की ओर से १९५२-५३ में एक कुआं बनाने की मंजूरी मिली। पहले इसके लिए बहुत बार दरखास्त पड़ी थी तब जाकर यह हुआ कि कुआं सरकार की ओर से बनेगा। लेकिन सरकार की ओर से वहां के लोगों को १० फीट कुएँ के बनाने के लिए सिर्फ १५ बोरा सिमेंट मिला। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा कुआं सिर्फ १५ बोरे सिमेंट से बन सकता है और हार करके वहां के लोगों ने चूने पर उस कुएँ को बांधा। अगर कृषि विभाग के अफसर को घूस दिया गया होता तो जितने सिमेंट की ज़रूरत होती वह सब मिलता। घूस नहीं मिलने से इस विभाग के अफसर ने इस तरह की धांधली की। इसका नमूना सरकार के सामने में पेश करता हूं जिसमें सरकार इस पर विचार करेगी और इसमें सुधार लाने की चेष्टा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, इसमें संदेह नहीं कि कृषि विभाग की

ओर से कुछ काम हो रहा है और इस विभाग में काम करनेवाले अधिकारी किसानों के सम्पर्क में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। पहली दिक्कत लोगों की यह है कि सरकार की ओर से जो योजना दिहातों के लिए बनती है वहां के लोगों से उसके लिए आधा रुपया पेशगी मांगा जाता है। होना तो यह चाहिए कि वहां के लोगों को आधा रुपया सरकार अपनी ओर से पेशगी देती और काम हो जाने पर बकिये आधा रुपया वहां के लोगों से वह वसूल करती। लेकिन ऐसा नहीं होने से बहुत-सी स्कीमें यों ही रह जाती हैं। अगर कोई योजना ५ हजार की है तो वहां के लोगों को २½ हजार रुपया पेशगी देना होगा और इसके चलते सरकार की तरफ हजारों स्कीम रहते हुए भी स्कीम को कार्यान्वित और चालू करने में सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार की इस नीति में परिवर्त्तन होनी चाहिए। यह बात नहीं है कि किसान किसी योजना को नहीं चाहते हैं। वे लोग खेती की योजना को चाहते हैं लेकिन पेशगी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और पेशगी नहीं देने से कोई योजना कार्यान्वित नहीं हो पाती है। इसलिए सरकारी नीति में परिवर्त्तन की आवश्यकता है और परिवर्त्तन होने से ही कृषि की योजना कार्यान्वित हो सकती है और यहां के किसानों की भलाई हो सकती है।

इसके बाद दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि कृषि के लिए पानी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है। बिना पानी पटाए कृषि का ठीक तरह से काम नहीं हो सकता है। किसानों के यथेष्ट प्रयास होने पर भी पानी नहीं होने से उनकी मिहनत बेकार हो जाती है और यहां की खेती ९० प्रतिशत वर्षा के पानी पर भी निर्भर करती है। इधर कुछ समय से सरकार की ओर से सिंचाई के लिए पानी कल देने की एक योजना चालू की गई है। लेकिन हमारे मुजफ्फरपुर जिले में जिसकी आबादी रकबा ३५ लाख एकड़ है और जिसमें १५ लाख एकड़ जमीन में खेती होती है पानी कल से पानी पटाने के लिए उस जिले को १० या १५ पम्पिंग सेट मिले हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने कम पम्पिंग सेट से सिंचाई का क्या काम हो सकता है। यह संख्या तो रकबा के ख्याल से बिल्कुल नगण्य है। जिस तरह से वैद्यनाथ धाम में शिवरात्रि के दिन भीड़ रहती है उसी तरह से कृषि विभाग के अफसर के यहां इस पम्पिंग सेट के लिए भीड़ रहती है लेकिन फिर भी बहुतों को इसकी सुविधा नहीं मिलती है। इसकी भी आधी रकम सरकार देती है और आधी रकम किसानों से वसूल की जाती है। सरकार को चाहिए कि पम्पिंग सेट की संख्या ज्यादा-से-ज्यादा वहां के किसानों को उपलब्ध करे जिससे

कृषि की उन्नति हो। पहले पम्पिग सेट की पूरी कीमत सरकार को देना चाहिए फिर उसकी आधी रकम को वहां के किसानों से वसूल करना चाहिए। ऐसा करने से किसानों को पम्पिग सेट मिलने में सुविधा होगी। इसके बाद जब सरकार पम्पिग सेट देती है तो उससे पानी जाने के लिए खेती में नाला होना चाहिए और सरकार को इसका भी इंतजाम करना चाहिए। जिस आदमी को २० से ३० एकड़ जमीन है वह बिना नाला का इंतजाम किए पम्पिग सेट से ठीक तरह से अपने खेतों को पटा नहीं सकता है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से नाला बनाने के लिए कोई एस्टीमेट तैयार नहीं है। इस विभाग में बड़े-बड़े एक्सपर्ट काम करते हैं लेकिन फिर भी इसके लिए कोई एस्टीमेट तक नहीं है। इसके लिए न किसी को जापान या जर्मनी भेजने की ही जरूरत है। नाला बनाने का ज्ञान यहां भी आसानी से हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के पास या उसके इंजीनियरों के पास नाला बनाने के लिए न कोई स्कीम ही है और न कोई एस्टीमेट ही है। सरकार के चलानेवाले लोगों को इसका पता नहीं कि पम्पिग सेट से पानी पटाने के लिए नाले की भी जरूरत होती है।

सभापति (श्री गुप्तनाथ सिंह)—आप चेयर को ही ऐड्रेस करें।

श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह—सरकार को जानना चाहिए था कि पानी पटाने के लिए नाले की भी जरूरत होती है और इसके लिए उसे एस्टीमेट तैयार करना चाहिए था। ऐसा नहीं होने से इस पर जो खर्च हो रहा है वह बेकार हो जायगा।

इसके बाद खेतों को ठीक तरह से जोतने के लिए ट्रैक्टर की भी जरूरत होती है। इसकी मांग भी दिहातों में है लेकिन ट्रैक्टर खराब हो जाने पर बहुत समय उसकी मरम्मती में बेकार हो जाता है। सरकार भी चाहती है कि जल्द-से-जल्द मरम्मत हो और अफसर भी यही चाहते हैं लेकिन फिर भी इसकी मरम्मती में ५ या ६ महीने से कम नहीं लगता है। मुजफ्फरपुर में २२ हजार में एक ट्रैक्टर खरीदा गया लेकिन उसका एक पुर्जा खराब हो जाने पर उसकी मरम्मती में १½ साल वक्त लग गया। इसके पार्ट मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। सरकार को चाहिए कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए वह कोई उपाय करे। ज्योंही खराब हो तुरंत ही उसे मरम्मत करने का इंतजाम पहले से ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह मरम्मत नहीं होने से बहुत दिनों तक यों ही बेकार पड़ा रह जाता है और किसानों को कोई फायदा इससे नहीं होता है।

हमारे तिरहुत डिविजन में जापानी मेथड से खेती करने की काफी प्रगति हुई है, ठीक है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि पानी की अधिक-से-अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। जब तक पानी का इंतजाम नहीं किया जायगा तब तक इस खेती से जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो सकता है। पिछले साल में कृषि विभाग की तरफ जापानी तरीके से खेती करने का काफी प्रचार किया गया है जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे जिले में इस जापानी ढंग से खेती की गई, लेकिन पानी की कमी के कारण जिनको ५० बीघा जमीन है वे १ बीघा या २ बीघा में खेती करके रह गए। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि पानी का काफी इंतजाम किया जाय जिससे जनता को लाभ पहुंचे।

दूसरी बात हमें विलेज वर्कर्स के संबंध में कहना है। सरकार ने हाजीपुर में विलेज वर्कर्स के काम के लिए १२० विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया यह कहकर कि तुम सभी को नौकरी दी जायगी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि १२० आदमियों

में से ६० आदमी को नौकरी मिलेगी और ६० आदमी को छः महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। सरकार का विश्वास दिलाकर कि तुम सभी को नौकरी दी जायगी, और उनमें से ६० आदमी को नौकरी देना और ६० आदमी को न देना, उन साठ आदमियों के उत्साह को तोड़ना होगा। इधर सुनने में आया है कि अब विलेज वर्कर्स न कह कर उन लोगों का नाम फार्मर्स रखा जायगा, ठीक है कोई नाम रखकर सरकार उन लोगों को ट्रेनिंग दे और काम दे, लेकिन ६० आदमियों को छः महीने का इंतजार करवाना ठीक नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप उनको मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे ६० नवयुवक जो एक उत्साह लेकर ट्रेनिंग करने के लिए आए थे कि हमलोगों को काम मिल जायगा और हमलोगों की परवरिश होगी, लेकिन इस बात को सुनकर वे नौजवान लोग बहुत परेशान और दुःखी हैं इसलिए सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए। सरकार का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि सुबह में कुछ भाव, शाम को कुछ भाव और रात को कुछ भाव। भाव एक होना चाहिए और जो वादा करे उसको पूरा करना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उन ६० नवयुवकों के लिए भी सरकार ने जो जिम्मेवारी ली थी उसको पूरा करके उनलोगों को भी नौकरी दे दे। इतना ही मेरा कहना है।

सभापति (श्री गुप्तनाथ सिंह)—सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए श्री वीरचन्द पटेल खड़े हों।

श्री चेतू राम—मुझे भी बोलने का ५ मिनट समय दिया जाय। मेरा भी एक कट-मोशन है। अभी......

सभापति (श्री गुप्तनाथ सिंह)—शान्ति, शान्ति! माननीय सदस्य बैठ जायं, यह सदन की मर्यादा की बात है।

(इस समय अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया)।

*श्री वीरचन्द पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कृषि विभाग के बजट को सदन के सामने रखते हुए जितनी बातें थीं उनको अच्छी तरह रखने का प्रयत्न किया। मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय सदस्यों ने इन दो दिनों में अपने-अपने कटौती के प्रस्ताव के द्वारा भिन्न-भिन्न तौर से कृषि विभाग की कार्यवाहियों पर काफी प्रकाश डाला है। कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्यों ने जिन प्रश्नों को उठाया है उसका जवाब देने के पहले मैं सिर्फ एक प्रश्न इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। वह प्रश्न यह है कि जितने ह्यूमन औरगंनिजेशन्स हैं, जितने काम मनुष्यों के इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उसके काम में कहां तक प्रगति हुई है, इसकी सफलता की जांच करने के लिए या किस हद तक असफल रहा है इसका अंजाम निकालने के लिए कोई मापदंड अवश्य होना चाहिए। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री रमेश झा ने मापदंड लगाया है कि कोई कृषि औफिसर जिसने सीड किसानों को दिया था उसने किसी एक किसान को १ महीने का समय देकर खुद वह उनके यहां नहीं लौटा। मान लिया जाय कि समय के भीतर वह दुवारा लौटकर नहीं गया तो इसका यह अर्थ अगर लगा लिया जाय कि कोई भी कृषि विभाग के ऑफिसर अच्छा काम नहीं करते हैं तो इस

मापदंड से काम कैसे चलेगा? उदाहरण के लिए किसी थाने या सवडिवीजन की बात ले ली जाय जहां २०९ कुआं बनाया गया हो वहां १० कुआं इस तरह का भी बन गया हो जो काफी अच्छा नहीं हो तो इसकी यह मानी अगर लगाया जाय कि सारे के सारे २०० कुआं अच्छे नहीं बने हैं, तो यह भी ठीक नहीं होगा। इसी तरह जहां ३½ सौ मीडियम इरिगेशन स्कीम कार्यान्वित की गई है अगर वहां ५-१० स्कीम ऐसी बन गई हों जिनकी कुछ त्रुटियां रह गई हों तो अगर हम सब स्कीमों को असफल ही समझ लें तो यह भी ठीक नहीं होगा। सरकार की तरफ से काफी प्रयत्न रहा है कि हरएक स्कीमों की जांच करने के बाद उसपर कार्य आरंभ हो ताकि जैसा कि आशा की जाती है, उतना लाभ उन स्कीमों से मिले। इन सब बातों को कहने का मेरा यही ख्याल है कि हर बड़े काम के लिए मार्जिन ऑफ एरर को रखना बहुत जरूरी है। किसी भी संस्था से सेन्ट परसेन्ट सफलता हासिल करने की आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए मार्जिन ऑफ एरर मिलना चाहिए। इसलिए मीडियम इरिगेशन के द्वारा जितने काम हुए हैं अगर किसी एक गांव में पानी अच्छी तरह नहीं निकला हो तो १० हजार गांव की स्कीम उसके लिए खराब नहीं कही जा सकती है। अगर हमारी सफलता की जांच का यही मापदंड रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि विभाग तो क्या, कोई भी दूसरा विभाग इस मापदंड पर नहीं उतरेगा। इसलिए हमें अपने मापदंड को भी जरा देखना चाहिए। मुझे जो एन० इ० एस० ब्लौक का तजुर्बा हुआ है उसमें किस हद तक तरक्की हुई है, उसकी उन्नति की बहुत दारोमदार ब्लौक डेवलपमेंट औफिसर्स पर है और उनकी योग्यता और पर्सनलीटी पर है। उसको डेवलपमेंट की फिलौस्फी में विश्वास है कि नहीं, उसको इसके लिए व्यग्रता है कि नहीं, इसपर भी निर्भर करता है। एन० इ० एस० ने अधिकतर इलाके में बहुत उत्साह और संतोषजनक परिवर्त्तन लाना शुरू कर दिया है और मैं फैक्ट्स और फीगर के साथ बता दे सकता हूं कि किस एन० इ० एस० ब्लौक में क्या-क्या काम हुए हैं। जहां तक हमारे दोस्त श्री रमेश झा के यहां का प्रश्न है मैं समझता हूं कि बनगांव ,एन० इ० एस० ब्लौक में जो काम हुए हैं उसकी रिपोर्ट हमारे पास में है, उसको संतोषजनक माना जाय या नहीं, इस राय में भिन्नता हो सकती है। एक्सटेन्शन का काम जहां भी हुआ, संसार का तजुर्बा है कि वहां के रहनेवाले उस तरफ से बिल्कुल उदासीन रहते हैं, यह ह्युमन नेचर है। इसमें इसी तरह की होस्टैलिटी की भावना, विरोध की भावना रहती है। यह बात सही है कि कितने वर्षों तक सरकार से हमलोग लड़ते आए और हमारा यह ट्रेडिंशन भी रहा कि गवर्नमेंट की यंत्रों से लड़ना। यह एक परम्परा चली आती है, वह दृष्टिकोण अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जहां सरकारी काम की सफलतां की बात पूछी जाती है तो जो पहले की सरकार के प्रति भावना थी, जागृत हो जाती है। पंचवर्षीय योजना के बाद यह शब्द 'एक्सटेन्शन' हमलोग जान पाए हैं। पहले-पहल जब मैं १९४६-४७ में पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी की हैसियत से यह शब्द सुना कि अग्रिकल्चरल एक्सटेन्शन का काम शुरू होना चाहिए तो मेरे सामने साफ तस्वीर नहीं थी कि एक्सटेन्शन का काम किसको कहते हैं। पूरा कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरिया में मुझे जाने का मौका मिला तो प्रोजेक्ट अफसर को देखा कि उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न था कि काम आगे बढ़ेगा या नहीं। दूसरे साल कुछ परिवर्त्तन आया, तीसरे साल एक जागृति आई। एन० इ० एस० ब्लौक एक ग्राफ की तरह चल रहा है। प्रश्न यह है कि हम सफलता का अर्थ क्या समझें। एन० इ० एस० ब्लौक में १० गांव मिलाकर एक विलेज लेभेल वर्कर रहता है और १०० गांवों का ब्लौक बनाकर रख दिया गया है जिससे सम्पर्क बहुत अधिक हो जाता है। उसका लाजिमी नतीजा यह होता है कि हमारी ऐक्टिभीटिज इन्टेन्सिभ हो जाती है। जांचने के वक्त आप किसी

भी एरिया में जायं तो आपको १० बातें ऐसी मिलेंगी जो बहुत खटकेंगी। यह बात मुझे याद है कि एक बार जब मैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरिया में गया तो रास्ते में, सड़क के किनारे जापानी तरीके का डिमौन्सट्रेशन पाया, इन्टीरियर में नहीं पाया, यह बात मुझे खटकी लेकिन हमें संतोष हुआ कि सड़क के किनारे जो काम हुआ वह सही हुआ है या नहीं, इसलिए किसी प्रोग्राम की सफलता के बारे में जांच करने के वक्त देखना पड़ेगा कि किस हद तक आगे बढ़ पाए हैं। उसी दृष्टिकोण से देखने से यह मालूम होता है कि इसमें कोई शक नहीं कि एन० इ० एस० के जरिए जो प्रगति देहातों में हुई है वह संतोषजनक है। यह जरूर हमारे सामने दूसरा बुनियादी सवाल आता है जिसको इस बजट से संबंध नहीं है। एक अंग्रेज लेखक की किताब में पढ़ रहा था, उसमें जिक्र था कि एक अंग्रेज आई० सी० एस० अफसर और उनकी स्त्री एक जिला में गए और वहां जो आज एक्सटेन्शन ब्लौक में काम हो रहा है उसी तरह का काम शुरू किया। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट अफसर की बदली हो गई और दूसरे डिस्ट्रिक्ट अफसर जो आए उनको इस काम में दिलचस्पी नहीं थी। ५ साल के बाद जब वह लौटकर उस डिस्ट्रिक्ट में आया और देखा तो उसने महसूस किया कि उसके सब किए हुए काम ५ वर्ष पीछे चले गए हैं यानी सब काम रिटेन आफ हो गया। बड़ी उत्साह के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हममें जो इनर्शिया है, इस देश की प्रगति में जो सबसे बड़ी बाधा है वह मास का कम्पलीट इनडिफरेन्स है। उनको आदत है तकलीफ को बर्दाश्त करने की, वे बड़ी-बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं और बर्दाश्त करके जिन्दा हैं। हमलोगों ने कम-से-कम इसको हटाकर उनके अन्दर प्यास पैदा की है और हमलोगों के लिए आज यह सम्भव नहीं है कि उनकी प्यास को मिटा दें। लोगों ने कहा है कि यहां पर ऐसा नहीं हुआ, वहां पर ऐसा नहीं हुआ, इससे मैं समझता हूं कि देश की इनर्शिया को खत्म करके आगे बढ़ने की एक व्यग्रता हुई है, इसको मैं प्रगति का एक रूप मानता हूं लेकिन साथ-ही-साथ मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने सच्ची तस्वीर होनी चाहिए कि हमने क्या किया। जैसा हमारे भाई श्री राम नरेश जी ने कहा कि गया जिला में मीडियम इरीगेशन स्कीम नहीं हुई है। मेरी शिकायत यह हो सकती है कि अगर मीडियमि इरीगेशन स्कीम हुई है तो सारे स्टेट में टौप है गया जिला। हमने फीगर मंगवाया तो पता चला कि इस सूबे के सारे जिलों में जहां पर मीडियम इरीगेशन का काम हुआ है गया का पोजीशन सबसे आगे है। यह बात सही है कि गया में, छोटानागपुर के इलाके में और पटने में मीडियम इरीगेशन का क्षेत्र ज्यादा है। जैसा सहरसा का सवाल है यह ठीक है कि सहरसा में मैंने कोशिश की थी कि मीडियम इरीगेशन का प्रोग्राम चालू किया जाय। जहां तक हो सका, एक दो स्कीम मीडियम स्कीम को हमलोग कर पाये।

हम अपने दोस्त से सहमत हैं कि सहरसा जिले में अगर सूटेबुल हो सकती है तो ट्यूब-वेल इरीगेशन स्कीम ही हो सकती है। इसके लिए मैं आपको यह बतला दूं कि तीन प्लैंट वहां काम कर रहे हैं और हमलोग इंतजाम कर रहे हैं कि एक महीने के अंदर सात प्लैंट और वहां भेजे जायें। जहां तक संभव हो सकेगा हम इस प्रयत्न में हैं कि सौ ट्यूब-वेल उन इलाकों में काम कर सकें। मैं अपने दोस्त श्री रमेश झा के सुझाव को पसंद करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सहरसा जिले में कोई मीडियम इरिगेशन स्कीम इसलिए नहीं हो सकी कि हम वहां करना नहीं चाहते थे बल्कि वह क्षेत्र मीडियम इरिगेशन के लायक नहीं है। मीडियम इरिगेशन स्कीम अगर कहीं फेल हो जाती है तो इस सिलसिले में दिक्कत यह होती है कि इसका आधा खर्च किसानों को देना पड़ता है। इसलिए मेरे ऊपर नैतिक जवाबदेही भी होती है कि ऐसे इलाकों में मैं ऐसी स्कीम लागू नहीं करूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पूर्णिया जिले का सवाल है शायद वह क्षेत्र भी मीडियम इरिगेशन स्कीम के लायक नहीं है। नौर्थ बिहार में आप देखेंगे तो मालूम होगा कि अधिकतर ऐसे स्थान हैं जो इस स्कीम के लायक नहीं हैं। हम इस खोज में बराबर रहे कि एक भी स्थान नौर्थ बिहार में मीडियम स्कीम के लायक मिल जाय तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इसी का नतीजा है कि पिछले चन्द वर्षों में हमलोगों ने बहुत काफी संख्या में इरिगेशन स्कीम का इंतजाम किया है। मैं इसका आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहता हूं जो इस प्रकार है: सारन में ३०, चंपारण में ९, मुजफ्फरपुर में २२, दरभंगा में १९, और भागलपुर में २१, मुंगेर में २८, पूर्णिया में ७।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि हमलोग इस प्रयत्न में हैं कि अधिक-से-अधिक संख्या में मीडियम स्कीम लागू करें और इसीलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में ७५० स्कीम रखी गई है और मुझे आशा है कि उन सभी को मैं कम्पलीट कर सकूंगा। मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि मीडियम इरिगेशन स्कीम में देर क्यों होती है। हमारे दोस्तों ने कहा है कि सेक्रेटेरियट में कागज-पत्तर के चक्र में देरी होती है। उन्हें समझना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। हम समझते हैं कि उनके कहने की मनसा यह भी नहीं है कि ऐसा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया जाय और कोई कागज नहीं रखा जाय और सीधे सेक्रेटेरियट को छोड़कर रूल किया जाय। सवाल यह है कि मोडर्न गवर्नमेंट का एक तरीका होता है और चेक एंड बैलेन्स से काम करना पड़ता है। मैं दो तीन उदाहरण आपके सामने रख देना चाहता हूं जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है। एक तो यह है कि कृषि के लिए एडवान्स नहीं मिलता है। इसके बारे में मैं बतला देना चाहता हूं कि कृषि विभाग की ओर से सरकारी आदेश निकाला गया है कि ८० प्रतिशत औन-एकाउन्ट पेमेन्ट किया जाय। लेकिन साथ-ही-साथ इस बात की ताकीद की गई है कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर औफिसर इस बात को देखें कि औन-एकाउन्ट पेमेन्ट लेने से काम ठीक से नहीं होता है। हमने खुद छोटानागपुर के इलाके में देखा है कि एक गड्ढा खोदकर औन-एकाउन्ट पेमेन्ट के नाम पर लोग रुपया ले लेते हैं। इस-लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस इलाका में माननीय सदस्य एडवान्स पेमेन्ट या औन-एकाउन्ट पेमेन्ट में दिलचस्पी रखते हैं वे अगर सिफारिश करेंगे कि वहां इस तरह के काम हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं चूंकि औन-एकाउन्ट पेमेन्ट कर देने से ३१ मार्च को हमलोगों का भार हल्का हो जाता है। लेकिन दिक्कत तो यही है कि हमलोग रुपये को बर्वाद नहीं करना चाहते बल्कि कुछ काम करना चाहते हैं।

कुछ लोगों ने कहा है कि बेनिफिशियरीज की परवाह नहीं करनी चाहिए और स्कीम बना देना चाहिए। कुछ भाइयों का कहना है कि बिना बेनिफिशियरीज से पूछे नहीं बनाना चाहिए। इन सभी बातों का ख्याल करके कृषि विभाग की ओर से आदेश दिया गया है कि चूंकि ५० प्रतिशत रुपया देना पड़ता है इसलिए जबर्दस्ती कोई स्कीम किसी एरिया में लागू नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक लिस्ट तैयार करना चाहिए कि किस एरिया में किस स्कीम से कितना लाभ होगा और किसको रुपया देना है। तब उसके बाद गवर्नमेंट का सैंक्शन मिलेगा, इसी में कुछ देरी होती है। हम समझते हैं कि बेनिफिशियरीज लिस्ट तैयार करने में अगर कुछ देरी भी हो तो यह शासन यंत्र का एक प्रोग्रेसिव एटीचूड है। जिन लोगों पर इस स्कीम से आर्थिक बोझ पड़ेगा उनका ख्याल निश्चित कर लेना मुनासिब है और इसीलिए इतनी देरी होती है। मैं समझता हूं कि कृषि विभाग की इस नीति से सदस्यों को सहमति होगी। माननीय सदस्यों को जानना चाहिए कि कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो डेभलपमेंट

कमिटी से आए और सेक्रेटेरियट में पड़ी रह जाय। डिस्ट्रिक्ट से कोई स्कीम आती है तो रेंज इंजीनियर उसे देखता है और विना टेक्निकल जांच कराए उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करना किसी भी सरकारी विभाग के लिए उचित नहीं है और न होना चाहिए। इन तमाम बातों के होते हुए मैं समझता हूं कि मीडियम सिंचाई योजना में काफी सफलता हुई है। हमारे दोस्तों ने जो सुझाव दिए हैं उनकी जांच को हम प्रायरिटी देंगे। उन्हें हम आश्वासान देना चाहते हैं। हमारे एक दोस्त ने कहा है कि इंजीनियर लिख देता है कि "नौट फीजीवुल" तो हम उसे नहीं करते हैं। लेकिन यह बात भी है कि कृषि विभाग के इंजीनियर ने अगर ऐसा कहा तो हमने वाटर-वेज और पी० डब्लू० डी० इंजीनियर से इसकी जांच कराई है।

जब यहां से संक्शन होकर गई थी तो कृषि विभाग ने कहा कि इस स्कीम में इतना ज्यादा खर्च है कि वह काम में नहीं लाई जा सकती है। इसके बाद हमलोगों ने कृषि विभाग के और दूसरे विभागों के इंजीनियरों को जमा कर एक फाइनल स्कीम बनाई। आशा है यह काम में लाई जाए लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा। आप जानते हैं कि जहां तक सिंचाई का सवाल है, हम विना जाने हुए कि फलां स्कीम कितनी जमीन सींचेगी लाखों रुपया एक-एक स्कीम पर खर्च कर दें तो हम समझते हैं कि आपके प्रति, सूबे के किसानों के प्रति, गरीब कर दाताओं के प्रति अन्याय होगा। इसलिए मीडियम स्कीम की प्रगति के लिए हमारे पास जितने रुपये हैं, टेकनिकल स्टाफ है उसके अनुसार हमारा प्रोग्रेस सैटिसफैक्ट्री कहा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कुओं के लिए ऐडवान्स पेमेन्ट का सवाल है हम ८० प्रतिशत तक खर्च करने को तैयार हैं लेकिन साथ-साथ यह भी देखना आवश्यक है कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वर्ष बहुत-से लोगों ने पुराने कुओं को नया कुआं बनाया और उसपर सरकार से रुपया लिया। इस तरह के करप्शन्स फैले हैं जिनका देखना आवश्यक है। कुआं बनाने के समय किसान ऐसा भी करते हैं कि नीचे से तो १० इंच दीवाल रखे हैं और ऊपर जब ५ फीट बच जाता है तो १५ इंच की दीवाल दी गई, इतना ही नहीं नीचे जो जोड़ाइयां दी गईं वे भी कच्ची, ऊपर से तो देखने में लगता है कि कुआं ठीक है लेकिन जांच करने पर वास्तविकता का ज्ञान हुआ और इस तरह की कड़ाई करना आवश्यक समझा गया। आपको मालूम होगा कि गया जिला में करीब १,२०० कुएँ बनाए गए जो पिछले कई वर्षों से अधिक है, इसे प्रगति कहें या नहीं कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इसका तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ५०० रु० या ६०० रु० सबसिडी देना तो बिल्कुल आसान है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि साइट सेलेक्शन में समय लगता है। बिना इसके पता कैसे चलेगा कि कहां पर कुआं बना और इससे यह भी पता चल जाता है कि पुराने कुएँ को नया तो नहीं कह कर रुपया लिया जा रहा है। इसके साथ-साथ यह भी नियम है कि छोटानागपुर में एक कुएँ से कम-से-कम दो एकड़ और इधर ६ एकड़ जमीन पटना चाहिए। बहुत जगहों में लोग अपने कम्पाउण्ड में कुआं खोदने की बात कर रहे हैं, ऐसा कराना चाहते हैं। ऐसा नियम है कि कुआं से अगर ६ एकड़ जमीन पटती हो तो कुआं बनाया जा सकता है और उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी। मैं आपको बताऊँ दो तीन केस ऐसे थे जिन्हें हमारे कृषि विभाग के अफसरों ने रुपया देना बन्द कर दिया, पेमेन्ट नहीं किया, हमने इसकी इन्क्वायरी की और अगर रूल पर स्ट्रिक्ट रहा जाता तो पेमेन्ट नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इसके बाद सीड मल्टिप्लिकेशन की बात आती है। इसके विषय में कहा जाता है कि गहूं का बीज माघ और फागुन महीने में पहुंचती है और इसकी शिकायत भी

कृषि विभाग को दी गई है। आज तो एक नए युग में हमलोग हैं और अधिक-से-अधिक क्षेत्रों में इम्प्रूव्ड व्हेराइटीज के सीड्स देने की कोशिश की जा रही है। हमलोगों ने दो करोड़ रुपया सेकेण्ड फाइव-इअर प्लान में रखा है और इस साल करीब ४८ लाख रुपया इसपर खर्च किया जानेवाला है। सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म्स ९७-९८ ब्लौकों में खुलने वाले हैं और अधिक-से-अधिक बीज किसानों में वितरण किए जायंगे। यह एक बहुत बड़ी स्कीम है और आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करना आसान है, कार्यक्रम के रूप में लाना आसान है लेकिन उसको फील्ड में लाना या अप्लाई करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। अगर सीड मल्टिप्लिकेशन की स्कीम सफल हो गई तो हम ज्यादा-से-ज्यादा उन्नति बीज किसानों को दे सकेंगे, वास्तविक एक्सटेंशन का काम कर सकेंगे। आप जानते हैं कि किसी पुरानी व्हेराइटीज को बदलना बहुत ही कठिन काम है। मैं अपने एक साथी के बारे में आपको बताऊँ कि लगातार दो वर्षों से मैं उनको कहता आ रहा हूं कि आप अपने फार्म में जापानी मेथड से धान रोपिए लेकिन वे टालते रहे और पुराने तरीके से ही धान रोपते रहे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ह्युमन माइण्ड को चेञ्ज करना बड़ा ही मुश्किल है, खास कर किसान जिनका प्रधान व्यवसाय कृषि है उनपर इस चेंज का बहुत देर से असर पहुंचता है। नये तरीके को इन्ट्रोड्यूस करना आसान काम नहीं है, यह तो बहुत बड़ा प्रोब्लेम है, इसको तो मैं ह्युमन प्रोब्लेम कहूंगा न कि एग्रिकल्चरल प्रोब्लेम। तो यह ऐसा प्रोब्लेम है जिसके लिए प्रचार की आवश्यकता होगी और धीरे-धीरे ह्युमन माइण्ड को चेंज करना होगा।

हम हरएक स्कूल में सीड मल्टिप्लिकेशन का काम करना चाहते हैं। नेशनल एक्सटेंशन ब्लौक की सफलता विलेज लेवल वर्कर पर ही आधारित है। हम समझते हैं कि अगर यह स्कीम सफल हुई तो हम अपने देश को बहुत आगे बढ़ा सकेंगे। अगर किसी जगह नेशनल एक्सटेंशन ब्लौक सफल नहीं हो सका तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्कीम को ही कार्यान्वित नहीं करें, यह हमारा विचार होगा तो हम कोई भी ठोस कदम उठा नहीं सकेंगे। हमको अपनी सफलता और असफलता दोनों को मिलाकर किसी नतीजे पर पहुंचना होगा और तभी हम कोई काम कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दोस्त जो गया जिले के हैं, उन्होंने अपने जिले की बात उठाई है। उनको मालूम है कि गया जिले में जितनी भी मीडियम स्कीम और दूसरी-दूसरी स्कीमें चालू की गई हैं उतनी किसी दूसरे जिले में नहीं की गई हैं। जिस जिला की मीडियम स्कीम टौप लिस्ट में हो, जिस जिले में कम्युनिटी प्रोजेक्ट स्कीम इतनी प्रगति कर रही हो, और जिस जिले में कुआं की स्कीम टौप लिस्ट में हो और उस जिले के माननीय सदस्य यह कहें कि वहां कुछ नहीं हुआ है तो मुझे आयरलैंड की कहावत याद आ जाती है। "Where impossible always happens and inevitbale never."

हमारे मित्र नीतीश्वर बाबू ने पम्पिग सेट्स की बात कही है और कहा है कि ट्यूब वेल में नाली के लिए सबसिडी देने का प्रबंध करना चाहिए। सरकार एक हजार सबसिडी देकर पम्पिग सेट्स दे रही थी लेकिन किसान लोग इसके लिए तैयार नहीं होते थे और जो तैयार होते थे वे अमीर आदमी होते थे और वे अपना काम करने के बाद उसको किराया पर भी चलाने लगे थे। इसलिए सरकार ने ऐसा विचार किया है कि ७५ पम्पिग सेट्स उत्तर बिहार में और ७५ पम्पिग सेट्स साउथ बिहार में रखा जाय और उसके लिए फीटर्स, मेकैनिक्स वगैरह को ट्रेंड किया गया है जो पम्पिग सेट्स यदि बिगड़ जाय तो उसको बना सकें। इस तरह ये स्टाफ उनके साथ

रहेंगे और जिस किसान को जरूरत होगी उनको पानी दे सकेंगे। इस तरह हमने पाइलेट स्कीम निकाली है और इसमें अधिक सफलता होने पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये सेट्स ३ या ५ हार्स पावर के होंगे।

श्रीमती रानी ज्योतिर्मयी देवी—संथाल परगना में कितनी मीडियम स्कीम हैं?

श्री वीरचन्द पटेल—९ हैं।

श्रीमती रानी ज्योतिर्मयी देवी—किन-किन जगहों में हैं, इसको क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं?

श्री वीरचन्द पटेल—जगह के लिए तो आप सवाल दीजिए बता दिया जायगा। जहां तक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स का सवाल है उसको हमलोगों ने मान लिया है कि वेटेरिनरी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके समान इनका भी वेतन होना चाहिए। इसको हमलोगों ने वित्त विभाग में मंजूरी के लिए भेजा है और आशा है कि वित्त विभाग इस मांग को स्वीकार कर लेगा।

दूसरी बात एग्रीकल्चर स्कूल की है। इसके बारे में हमने कहा था कि पहली अक्टूबर से जितने लड़के निकलेंगे सबों को हम बहाल कर लेंगे। हमने एग्रीकल्चर विभाग को कहा है कि वह डेभलपमेंट डिपार्टमेंट से पूछ-ताछ करें कि जितने लड़के कृषि स्कूल में पढ़ते हैं उनको एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेन्टर में रख लिया जाय। चारों ट्रेनिंग सेन्टर से १२० लड़के निकलेंगे और उनको ट्रेनिंग के समय में २० रुपया महीना दिया जाता है और वे विलेज लेवेल वर्कर के स्थान पर काम करते हैं।

एक सदस्य—शिशिर बांध के बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री वीरचन्द पटेल—शिशिर बांध के बारे में हमलोगों ने कहा है कि जमीन किसानों की रजामंदी से ली जाय। इस संबंध में मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे किसान भी उसमें सम्मिलित हैं जिनको केवल १० या ५ कट्ठा खेत है ......

अध्यक्ष—अब समय हो गया।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

That the item of Rs. 24,000 for "Direction—Direction of Agriculture" be omitted.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"कृषि विभाग" के संबंध में, ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान की दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए ३,५४,३५,३५१ रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा बुधवार, दिनांक ७ मार्च, १९५६ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

इनायतुर रहमान,
सचिव, बिहार विधान-सभा।

पटना :
तिथि ६ मार्च, १९५६।

बी०स०मु० (एल०ए०) ८५—मोनो—८७०+१—३०-१०-१९५६—टीडीएस एवं अन्य।